



A

चंद्रपूर जिल्ह्यातील
स्थलांतरित होती करणाऱ्या
माडिया गोडांच्या स्थायी होतीसाठी
केलेल्या पुनर्वसन योजनेच्या मूल्यमापनाचा

अ ह वा ल

आदिवासी संशोधन संस्था,
समाजकल्याण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

१९६९

[किंमत - २५ पैसे किंवा १ शि]



चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थलांतरित शेती करणाऱ्या
माडिया गोंडांच्या स्थायी शेतीसाठी केलेल्या
पुनर्वसन योजनेच्या मूल्यमापनाचा

अ ह वा ल

आदिवासी संशोधन संस्था, समाजकल्याण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१.

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर
१९६९



भारत सरकार
 विदेश मंत्रालय
 नई दिल्ली

३३३३

आदेश संख्या: ३३३३/२०२३
 दिनांक: २०२३

३३३३
 ३३३३

अनुक्रमणिका

पृष्ठ

प्रस्तावना.

१. प्रकरण पहिले—

स्थलांतरित कृषि व्यवसायांच्या समस्या १-७

२. प्रकरण दुसरे—

चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी आखलेली योजना. ८-१२

३. प्रकरण तिसरे—

स्थलांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीची पाहणी. १३-५४

४. प्रकरण चौथे—

अनुमान व सूचना ५५-६२

परिशिष्टे.

१. परिशिष्ट १—अर्थसंकल्पामध्ये दाखविलेल्या खर्चाची तरतूद .. ६३

२. परिशिष्ट २—शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर्शविणारा तक्ता .. ६४

३. परिशिष्ट ३—शेतीखाली आणलेले क्षेत्र दर्शविणारा तक्ता .. ६५-६७

४. परिशिष्ट ४—शेतीसाठी दिलेली मदत ६८-७०

५. परिशिष्ट ५—१९६४-६५ पर्यंत सामान्य माहिती दर्शविणारा तक्ता .. ७१-७२

६. परिशिष्ट ६—सुचित कर्मचारी व इतर बाबीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील. ७३-७४

७. परिशिष्ट ७—बैगा चॅक (Baiga Chalk) वर टिप्पणी .. ७५-७६

८. परिशिष्ट ८—चंद्रपूर जिल्ह्यातील बडा माडिया व छोटा माडिया डोंगरांच्या रांगात आजही स्थलांतरित शेती करणाऱ्या इसमांच्या नावांची यादी. ७७-७९

A-2419-2-A

प्रस्तावना :

स्थलांतरित कृषि व्यवसाय हा आदिवासी लोकांचा ह्या राज्यातील गेल्या पन्नास वर्षांपूर्वी विस्तृत प्रमाणावर अस्तिवात असलेला एक पारंपरिक धंदा होता. उपलब्ध अहवाल आणि कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, या प्रकारची शेती चंद्रपूर जिल्ह्यात माडिया गोंड, नांदेड जिल्ह्यात कोलाम व पूर्वीच्या जंजीरा संस्थानात कातकरी लोक करीत असत. १९५२ साली, राष्ट्रीय वन योजनेनुसार या पद्धतीच्या शेतीवर बंधन घातले गेले, व त्या अनुसार एक कायदा संमत करण्यात आला. तेव्हापासूनच जे लोक स्थलांतरित शेती करीत होते त्यांचे पुनर्वसन कसे करावे, याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले गेले. दुसऱ्या पंचवर्षिक योजनेत अशा लोकांचे पुनर्वसन करण्याकरिता योजना आखण्यात आली. योग्य त्या चौकशीअंती असे निदर्शनास आले की, आता जंजीरा संस्थान व नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी स्थानिक शेती करू लागले आहेत. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही आदिवासी लोक मात्र पारंपरिक पद्धतीपासून परावृत्त झालेले नाहीत. याचसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोनशे कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याकरिता एक सविस्तर योजना आखण्यात आली. दरवर्षी २५ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे असे दुसऱ्या पंचवर्षिक योजनेत उद्दिष्ट म्हणून ठरविण्यात आले. तिसऱ्या पंचवर्षिक योजनेत हाच कार्यक्रम चालू ठेवण्यात आला.

आदिवासी संशोधन संस्थेच्या नियामक समितीचे अध्यक्ष ह्यांनी सूचविल्यावरून या विषयावर सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी हा विषय निवडण्यात आला.

ह्या विषयाची व्याप्ती, अभ्यासपद्धती व त्याकरिता वापरावयाची प्रश्नावली, परीक्षिते वगैरे गोष्टी संशोधन अधिकाऱ्यांनी, प्रमुख संशोधन अधिकारी, ह्यांच्या विचाराने ठरविल्या. सरकारी कागदपत्रे व निरनिराळ्या पुस्तकांतून ह्या पद्धतीची ऐतिहासिक पाश्र्व-भूमी दर्शविणाऱ्या इतर बाबींचा अभ्यास करण्यात आला. त्याचप्रमाणे वन अधिकारी व अन्य इतर अधिकारी यांचेशी याबाबत चर्चा केल्यानंतरच हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

या अहवालाचे काम श्री. नारायणसिंग हजारी यांनी श्री. टिकारे व श्री. सोनवणे यांच्या सहाय्याने केले. स्थलांतरित कृषि करीत असलेल्या आदिवासी कुटुंबाची पहिली करण्यासाठी या संशोधन पथकाला खूपच कष्ट सहन करावे लागले. हा अहवाल त्यांच्याच कष्टांचे फळ होय.

हा अहवाल मानववंश शास्त्रज्ञ, मानववंश शास्त्राचे अभ्यासू, सामान्य प्रशासक व आदिवासी विभागात काम करित असलेल्या कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल.

पु. र. शिरसाळकर,
मुख्य संशोधन अधिकारी,
आदिवासी संशोधन संस्था,
समाज कल्याण संचालनालय, पुणे.

दिनांक २४-२-१९६९.

स्थलांतरित कृषि व्यवसायाच्या समस्या

ऐतिहासिक कारणे काही असली तरी आदिवासी हे अशा ठिकाणी राहातात की, ज्या ठिकाणी जीवन कष्टाचे व जिकरीचे असते. ते राहत असलेला भूप्रदेश हा डोंगराळ आणि घनदाट जंगलाने भरलेला असतो. लागवडीला योग्य अशा जमिनीचा तेथे तुटवडा असतो. तेथील जमिनीची झीज मात्र झपाट्याने होत असते. अशी प्रतिकूल परिस्थिती असूनसुद्धा आदिवासी लोक मोठ्या पराकाष्ठेने तेथे धान्य पिकवितात व आपला उदरनिर्वाह करतात, ही गोष्ट त्यांच्यादृष्टीने खरोखरच भूषणावह आहे.

शेती ही आदिवासींच्या आर्थिक जीवनातील फार महत्त्वाची बाब आहे. भारतातील आदिवासी लोकसंख्येच्या सुमारे ९० टक्के आदिवासी हे शेतकरी अथवा शेतमजूर आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे ८३ टक्के आदिवासी लोक शेतीवर आपली गुजराण करतात. लोकसंख्येच्या अफाट वाढीमुळे शेतजमिनीवर भार पडला, त्यामुळे साहजिकच उपलब्ध असलेल्या जमिनीवरच त्यांना जास्त धान्योत्पादन करणे अपरिहार्य ठरले.

चंद्रपूर जिल्हा हा १७.५० व २०.५० अक्षांश व ८०.५९ व ७०.४८ रेखांश यांच्यात वसला आहे. त्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ २६१ चौरस किलोमीटर आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागाचे खरेखुरे दर्शन याच जिल्ह्यात घडते. मध्यप्रदेशातील बस्तरच्या भूप्रदेशास लागून असलेल्या या जिल्ह्याच्या नैऋत्य भागात माडीया ही अत्यंत मागासलेली आदिवासी जमात वास्तव्य करीत आहे. हे लोक आपले अन्न मुख्यत्वे शेती करून किंवा जंगलातील फळे गोळा करून किंवा मच्छीमारी अथवा शिकारीद्वारे मिळवितात. अहेरी जमीनदारी विभागात जेथे माडीया राहातात तो प्रदेश अत्यंत घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे. या जिल्ह्याच्या गॅझेटेड अरवरून असे दिसून येते की, शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न हे दुय्यम दर्जाचे असते. धान्योत्पादन हे केवळ जंगलातून गोळा केलेल्या कंदमुळे व फळे यांना पुरक असते. या लोकांना नेहमी जंगलातील परिस्थितीवरच अवलंबून राहावे लागते आणि म्हणूनच त्यांची शेतीपद्धती ही जंगलातील आजूबाजूच्या परिस्थितीशी निगडित असते.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील 'राजगोंड' ही आदिवासी जमात मात्र स्थायी शेती व्यवसायिक आहे. त्यांची शेतीपद्धती ही माडीयांच्या शेतीपद्धतीपेक्षा पुष्कळ सुधारलेली वाटते. माडीया लोक हे घनदाट जंगलाच्या डोंगराळ दुर्गम भागात राहातात व ते स्थलांतरित शेती-व्यवसाय करतात. त्यांच्या या शेतीपद्धतीस "दहिया", "बेवर" आणि "पेडा" असेही

संबोधिले जाते. स्थलांतरित शेतीव्यवसाय हा आदिवासी लोकांचा पारंपरिक धंदा आहे. याबाबत श्री. एलवीन यांच्या 'The Baigas' या पुस्तकात, पान १०० वर, खालीलप्रमाणे उल्लेख आढळतो.

'It is the common method of Cultivation in the forests of South America, in many parts of South Africa, Melanesia and the Atlantic Island; in Assam, in Ceylon and the remoter forest areas of South and Central India. This type of cultivation is known as 'Jhum' in Assam and Tripura; 'Bewda' or 'Dhaya' in Madhya Pradesh, and in Chandrapur District of Maharashtra State; 'Podu' in Andhra Pradesh; 'Poma Dhoi', 'Komon' or 'Bringa' in North Orissa; 'Gudia' or 'Dongarchos' in South Orissa and 'Beora' in Jashpur area by the 'Pahari Korwas'.

ही विविष्ट शेतीपद्धती चंद्रपूर जिल्ह्यात 'खामोरी' (Khamori) व 'धअिया' नावाने ओळखली जाते. या प्रकारच्या लागवडीत जंगल तोडणे, मैदान तयार करणे, पाडलेल्या झाडांच्या सहाय्याने जमीन भाजणे आणि भाजलेल्या जमिनीत बी-बियाणें फेकून लावणी करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो. अशा पद्धतीने पहिल्या १-२ वर्षांत चांगल्या रीतीने धान्य पिकविता येते, परंतु पुढे जमिनीची सुपिकता कमी होते व जमिनीचा काही भाग पावसामुळे झिजला जातो, म्हणून आदिवासी वर उल्लेखिलेल्या पद्धतीनेच दुसरीकडे लागवड करण्यास जातात. अशा रीतीने हे चक्र सुरू असते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील छोटा व बडा माडीया डोंगराच्या उतारावर ही शेतीपद्धती आढळून येते. यासाठी ते सपाट किंवा कमी उतार असलेल्या जमिनीच्या तुकड्याची निवड करितात. उन्हाळ्याचे शेवटी त्या जमिनीवरील झाडेझुडपे तोडून ती जमीन वाळावी म्हणून साफ करतात, नंतर त्या जमिनीवर वाळलेल्या लाकडाचा काही इंच उंचीचा थर देतात. वाळलेल्या लाकडांना आग लावण्यात येऊन ती संपूर्णपणे जाळतात. तांदुळ व इतर हलक्या प्रतीची धान्ये फेकून लावणी करतात. जमीन नांगरण्याची जरूरी नसते. आदिवासी लोकांच्या दृष्टीने ही पद्धती आर्थिकदृष्ट्या फारच सोईची आहे.

सर्वसाधारणपणे एक पीक काढल्यानंतर ती जमीन लागवडीस आणीत नाहीत. परंतु कधी कधी कुटकी (Kutaki) नावाचे दुसरे पीक पुढील वर्षात काढतात. दोन किंवा जास्तीत जास्त ३ वर्षांनंतर त्या जमिनीच्या तुकड्याचा त्याग केला जातो आणि त्यावर काटेरी झुडपे वाहू दिली जातात. अशाप्रकारच्या जमिनीचे रूपांतर पुन्हा मूळ जंगलात किंवा ती दहा वर्षांपर्यंत आहे, त्याच अवस्थेत राहाते. तदनंतर त्या जमिनीवर नवीन भरपूर प्रमाणात वाढ होऊन ती स्थलांतरित शेती करण्यास पुन्हा उपयुक्त ठरते.

ही पद्धती उघळपट्टीची असली तरी आदिवासीयांच्या साधनसामुग्री व मर्यादा, या दृष्टीने ती त्यांना झोपण्यासारखी आहे. भारतातील २५,८९,४०१ आदिवासी हे १३,५१,९३७ एकर जमिनीवर अशा पद्धतीने शेतीव्यवसाय करतात. आसाम, बिहार, ओरिसा व आंध्रप्रदेश ह्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील ही समस्या तितकी महत्त्वाची नाही.

जरी सर्वसाधारणतः ही पद्धती उघळपट्टीची व बुरसटलेली आहे असे समजले जाते तरी ही पद्धती आदिवासीयांच्या जीवनाच्या व संस्कृतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरते.

बहुतेक आदिवासी ही कष्टमय शेतीपद्धती अवलंबितात, कारण त्यांच्यात भूमातेबद्दल नितांत आदर होय. "बैगा" या आदिवासी जमातीत नांगरट पद्धतीने शेती न करण्या-बद्दल पुढीलप्रमाणे समज आहे. "जमिनीची नांगरणी करणे म्हणजे देवाला रुट करणे होय. त्या पद्धतीने शेती करणे म्हणजे नैतिक अधःपतन होय". त्यांच्यात स्थानांतरित शेती करण्याबाबत पुढील दंतकथा प्रसिद्ध आहे.

"एकदा परमेश्वराने सर्व आदिवासी लोकांना त्यांच्या राजाची निवड करण्यासाठी बोलावले होते. त्यावेळी प्रथम बैगाची राजा म्हणून निवड झाली. परंतु त्याने परमेश्वरास अशी विनंती केली की, मला राज्यपद न देता माझा भाऊ गोंड यास ते देण्यात यावे. परमेश्वरास फार आनंद झाला व त्याने बैगाला आपले सिंहासनावर स्थान दिले आणि सांगितले की, तुम्ही सर्वजण भूमातेपासून जन्मला आहात तेव्हा गोंड व हिन्दु ज्या नांगरट पद्धतीने शेती करतात तिचा स्वीकार तुम्ही करू नका कारण नांगरटीमुळे आईचे मन दुखविले जाते. तरी तुम्ही जमिनीवरील झाडेझुडपे कापून ती जाळा. बियाणे फेकून लावणी करा म्हणजे तुम्हाला भरपूर अन्नधान्य मिळेल. त्याप्रमाणे तुम्ही इतर जंगल संपत्ती पण गोळा करू शकाल!"*

परंतु अशा प्रकारची धार्मिक कल्पना माडीया गोंड जमातीत या बाबतीत आढळून येत नाही. आपणांस पूर्व भारतात आसाम, मणीपूर, त्रिपूरा, नेफा, नागा भूप्रदेश आणि ओरिसा येथे ही समस्या प्रखरपणे जाणवते. इतरत्र मात्र ही फारच क्वचितच जाणवते.

स्थानांतरित शेतीपद्धती ही उघळपट्टीची व कष्टाची असल्याने तिचा त्याग करून त्या ऐवजी नवीन सुधारलेल्या शेतीपद्धतीचा अवलंब करणे हे अपरिहार्य आहे. ह्याबद्दल कोणाचेच दुमत होणार नाही. परंतु स्थानांतरित शेतीपद्धतीचा समूळ नाश केल्याने आदिवासीयांचे मनात न्युनगंडाची भावना निर्माण होण्याची व विकास योजना राबवण्याच्या मार्गात एक धोंड ठरण्याची शक्यता आहे.

खाण्यापिण्याच्या आवडीप्रमाणेच घंद्याच्या आवडीनिवडीत फरक करणे फारच कठीण असते. या गोष्टीकडे पाहण्याचा शासकीय दृष्टीकोन शास्त्रीय व उदारमतवादी आहे.

* ("The Baigas", श्री. एलवीन, पान १०६ च्या आधारेने).

भारताचे माजी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरिस्ट, श्री. चतुर्वेदीनी याबाबत असे म्हटले आहे की, “स्थानांतरित शेती घातक आहे अशा दृष्टीकोनातून न बघता ती एक उपजीविकेचा मार्ग आहे. तिचा त्याग न करता ती शेतीपद्धती एकप्रकारची नैसर्गिक बाब आहे असे समजावे”. त्याप्रमाणे नियोजन मंडळाच्या व्यवस्था विभागाचे तज्ञ श्री. एस. एस. शिवरामन् म्हणतात की, “झूम” (Jhum) ही अशास्त्रीय पद्धती आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. प्रत्यक्षतः जमीन तयार करण्यासाठी अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. डोंगर उताराची जमीन नांगरताना व पिकांची कापणी करताना जमिनीची सुपिकता नाहीशी होण्याचा दाट संभव असतो. म्हणून आदिवासी लोक जमीन न नांगरता बियांची पेरणी करतात. रानटी झुडपांचा अग्नीच्या साह्याने नायनाट करून पिकास योग्य अशी जमीन निर्माण करणे या पद्धतीने आपोआप साध्य होते”.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पासून जंगल विभागास फार मोठा धोका नाही, कारण एकूण जंगलाच्या मानाने ते फारच थोड्या भागात अशा प्रकारची शेती करतात. तरी सुद्धा १९५२ च्या वनयोजनेप्रमाणे या शासनाची आदिवासीयांना इतर जातीच्या बरोबरीने आणण्याच्या घटनात्मक धोरणामुळे, स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योजना आखण्यात आली.

इतर आदिवासीयांच्या प्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील माडीया लोकांच्या गरजा मर्यादित आहेत आणि म्हणून ते त्यांच्या परंपरेने चालत आलेल्या शेतीपद्धतीतच समाधान मानतात. डॉ. एलविन आपल्या (Baigas) “बैगाज” या पुस्तकात लिहितात की, “हे लोक जोपर्यंत काहीही न करता या प्रदेशात कोदो, कुटकी ही त्यांच्या अन्नधान्यासाठी पिकवतात, जोपर्यंत ते विक्रीसाठी किंवा देवाण-घेवाण करण्यासाठी काहीही पिकवत नाहीत आणि जोपर्यंत बाहेरच्या प्रदेशातून मिठाशिवाय इतर कसलीही अपेक्षा करीत नाहीत त्यामुळेच त्यांची इतर मानवाबरोबर प्रगती होणे शक्य नाही. ते आता जसे जंगल विभागातील मागासलेले मानव म्हणून जीवन जगतात व तसेच त्यांच्या परिस्थितीत जीवन जगण्याचा मार्ग स्वीकारतात म्हणून हे सर्वमान्य आहे की, या लोकांना जबाबदार सुसंस्कृत नागरिक बनविण्यासाठी व ते करीत असलेल्या कामाचा अधिक मोबदला मिळण्यासाठी व जंगलाचे योग्य ते रक्षण करण्यासाठी एखादी चांगली सुधारित शेतीपद्धतीचा अवलंब करणेच इष्ट आहे”. याचाच परिणाम म्हणून प्रथमतः दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत या कारणासाठी २ कोटी ८७ लाख ३३ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. स्थलांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासी लोकांचे पुनर्वसन करताना त्यांचे जमिनीबाबतचे हक्क हिरावले जाणार नाहीत आणि त्यांचा दैववादावरचा विश्वास त्यांच्याच कलाने उत्क्रांतीच्या मार्गाने घालविणे हे घ्येय डोळ्यापुढे ठेवावयास पाहिजे व स्थलांतरित शेती व्यवसाय हा संपुष्टात आणला पाहिजे.

स्थलांतरित शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वसाहती स्थापन करणे हाच फक्त योग्य मार्ग होय असा समज आहे. शेतीवसाहती स्थापन करण्याची कल्पना ही स्थलांतरित शेती म्हणजे स्थलांतरित खेडी होय, या श्रद्धेतून पुढे आली आहे, आणि म्हणून स्थलांतरित शेतीव्यवसाय शेतीवसाहती स्थापन करून घालविणे बरोबर होणार नाही. आदिवासी लोकांना डोंगराळ भागातून मैदानी भागात आणण्याचे काहीच कारण नाही. असे केल्याने आदिवासी लोकांना त्यांच्या आवडत्या डोंगराळ जमिनीवरील प्रेमापासून दूर करून त्यांच्या धार्मिक भावनेला आव्हान केल्यासारखे ठरेल.

आदिवासी हे दुराग्रही स्वभावाचे असल्यामुळे ते कोणताही नवीन बदल स्वीकारण्यास तयार नसतात, आणि म्हणून ते स्थायी शेतीव्यवसाय स्वीकारण्यास मागेपुढे करतात. त्यांची अशी समजूत आहे की, 'कोसरा', 'कुटकी' सारखी धान्ये व भाजीपाला फक्त डोंगराळ उतरणीवरच पिकू शकतो म्हणून त्यांची ह्या जुनाट व्यवसायाबद्दल असलेल्या कल्पना घालविण्यासाठी त्यांना नवीन पद्धतीच्या शेतीची प्रात्यक्षिके करून दाखविणे योग्य ठरेल. व त्यांना खालील गोष्टींची प्रचिती आणून द्यावी लागेल:—

- (१) 'कोसरा' व 'कुटकी' या प्रकारची धान्ये ही स्थायी शेतीत देखील पिकविता येतात.
- (२) ते सर्व प्रकारचा भाजीपाला व धान्ये स्थायी शेतीत देखील पिकवू शकतात.
- (३) स्थायी शेतीपासून स्थानांतरित शेतीपेक्षा जास्त धान्य निघू शकते.
- (४) शेतीसाठी झाडे वगैरे जाळण्याची आवश्यकता नाही.

आदिवासी हे तसे फार धूर्त व भावनावश लोक असतात. नेफा भूप्रदेशात असे आढळून आले की, एकदा अशा लोकांच्या नवीन शेतीपद्धतीबद्दल खात्री पटली की, ती पद्धती फायदेशीर आहे तर मग मात्र त्या पद्धतीचा ते जोमाने उपयोग करतात. जुन्या पद्धतीचा एकदम त्याग करावयास सांगण्यापेक्षा किंवा त्यांना डोंगराळ प्रदेशातून सक्तीने दूर घालविण्यापेक्षा आहे तीच पद्धती काही काळ चालू ठेवून ज्या ज्या ठिकाणी भरपूर जमीन उपलब्ध असेल त्या त्या ठिकाणी नवीन पद्धतीने शेतीची प्रात्यक्षिके करणेच श्रेयस्कर ठरेल. अशी प्रात्यक्षिके आदिवासीयांना दाखवावी आणि जर त्यांची ह्या पद्धतीने शेती करावयाची तयारी असेल तर त्यांना मदत करावयाची व हळूहळू क्रमाक्रमाने स्थायी शेतीकडे त्यांची वाटचाल करावी. अशा रीतीने केलेला प्रयत्न हा त्यांच्या नेहमीच्या जीवनात फार मोठी पोकळी निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणार नाही व त्यांचा स्थायी शेती करण्याकडे आपोआपच कल झुकेल. अशा उत्क्रांतीच्या मार्गाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थलांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांचे पुनर्वसन करताना अनुसरला गेला नाही म्हणून अनुसूचित जमाती व अनुसूचित

विभाग कमिशनने अशी शिफारस केली आहे की, ज्या ठिकाणी झूमिंग शेतीपद्धती विस्तीर्ण प्रमाणात आहे अशा ठिकाणीच शास्त्रीय शेतीपद्धती व सामाजिक समस्या या दृष्टीतून संशोधन करावे.

दुसरे असे की, जरी सपाट प्रदेशात शेती केल्याने अधिक धान्य मिळविता आले तरी सावकार व सधन अशा लोकांकडून त्यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारची पिळवणूक ते डोंगरी शेती करीत असताना होण्याची भीति नसते म्हणून स्थलांतरित शेती-पासून त्यांना परावृत्त करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

श्रीमती रेणुका रे कमिटीने आदिवासी शेतीचा अभ्यास करताना खालील तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर दिला आहे :—

- (१) आदिवासीयांच्या जमिनीवरील हक्क अबाधित राहिले पाहिजे.
- (२) शास्त्रीय दृष्टीने स्थलांतरित शेतीपद्धती प्रस्थापित करणे.
- (३) अधिक धान्योत्पादनासाठी शेतीपद्धतीतील सुधारणा.

खरोखरच स्थानांतरित शेती समस्या ही आदिवासीयांच्या जमीनविषयक समस्याशी निगडित आहे.

स्थानांतरित शेतीचे दोबळमानाने खालील दोन प्रकार असतात :—

- (१) डोंगर उतारावरील स्थानांतरित शेती.
- (२) कमी उताराच्या जमिनीवरील स्थानांतरित शेती.

पहिल्या प्रकारची शेती ही फार जुनी व कष्टमय आहे. अशा प्रकारची शेती चंद्रपूर जिल्ह्यातील बडा आणि छोटा माडीया यांच्यात प्रचलित आहे.

अहेरी भागातील रहिवासी माडीया गोंड ह्या प्रकारची शेती सन १९५९-६० पर्यंत फार मोठ्या प्रमाणावर करीत असत. जंगल खात्याने १८७३ मध्ये उत्कृष्ट जंगलाच्या २० हजार एकराच्या प्रदेशास ताब्यात घेऊन तेथे राखीव जंगल योजना आखली. तोपर्यंत आदिवासी लोकांनी अत्यंत मौल्यवान जंगलाचा स्थानांतरित शेती पद्धतीने नाश केला. अहेरी जमीनदारांकडून जंगल ताब्यात मिळविल्यानंतर ठरवून दिलेल्या सीमेपासून कमीत कमी दोन मैलांच्या आत स्थानांतरित शेती करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. शासनाने स्थानांतरित शेतीस बंधन घालण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अशा प्रकारचे बंधन परिणामकारक ठरले नाही. कारण आदिवासी हे अंधश्रद्धाळू असल्याने ते आपली वस्ती ह्या ना त्या कारणाने बदलीत व त्यामुळे आपोआपच स्थानांतरित शेतीखालील क्षेत्रही बदलले जात असे. अशा प्रकारे जंगलाचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन परिणामतः जमीनही धाया गेली.

दोन-तीन वर्षांनंतर शेतीपासून मिळणारे उत्पादन हे फारच तोकडे निघू लागले आणि त्यामुळे ते आपले जीवनमान व राहणीमान सुधारू शकले नाहीत. जंगल रक्षणासाठी जंगल खात्याने मध्यप्रदेशातील स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एक सविस्तर योजना आखली होती. परंतु ती प्रत्यक्षात आली नाही. सन १९५९-६० मध्ये पहिल्या दोन वर्षांसाठी १ लाख रुपयांची आदिवासीयांच्या कल्याणासाठी केन्द्र सरकार पुरस्कृत योजनेत तरतूद करण्यात आली होती.

शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने १९५९-६० मध्ये पहिल्या दोन वर्षांसाठी १ लाख रुपयांची आदिवासीयांच्या कल्याणासाठी केन्द्र सरकार पुरस्कृत योजनेत तरतूद करण्यात आली होती.

शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने १९५९-६० मध्ये पहिल्या दोन वर्षांसाठी १ लाख रुपयांची आदिवासीयांच्या कल्याणासाठी केन्द्र सरकार पुरस्कृत योजनेत तरतूद करण्यात आली होती.

शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने १९५९-६० मध्ये पहिल्या दोन वर्षांसाठी १ लाख रुपयांची आदिवासीयांच्या कल्याणासाठी केन्द्र सरकार पुरस्कृत योजनेत तरतूद करण्यात आली होती.

प्रकरण २ रे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी आखलेली योजना

चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शासनाच्या बरेच वर्षे विचाराधिन होता. याबद्दलची योजना प्रथमतः १९५९-६० साली प्रत्यक्षतः केन्द्र सरकारच्या संमतीने आखण्यात आली. या योजनेत खालीलप्रमाणे तरतूद होती.

योजनेचा सारांश :

पुनःस्थापित मुंबई प्रदेशातील दक्षिण चंद्रपूर, डांग, कुलाबा आणि जंजीरा या विभागात स्थानांतरित शेतीव्यवसाय चालत असे. त्यातल्यात्यात दक्षिण चंद्रपूर व डांग या भागात स्थानांतरित शेतीचे प्रमाण अधिक होते. म्हणून या दोन जिल्ह्यात स्थानांतरित शेती-पासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी योजना आखण्याचे ठरले. असे सांगण्यात आले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात १८८ कुटुंबे या व्यवसायांत गुंतलेली होती. अंदाजे तितक्या कुटुंबे डांग जिल्ह्यात गुंतलेली असावीत. या सर्व कुटुंबियांना एकदम एकाच वेळी कायम स्वरूपाच्या स्थायी शेतीत गुंतवणे शक्य नव्हते म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० कुटुंबियांचे पुनर्वसन करावयाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

स्थानांतरित शेती हा आदिवासी लोकांचा साधा व सरळ व्यवसाय आहे. ते विपुल जंगल संपत्तीने भरलेल्या प्रदेशाची झाडेझुडपे तोडून जाळतात व जमीन नांगरतात व त्यावर बी फेकून पिकाची लावणी करतात. अशी शेते सहसा डोंगर उतरणीवर असतात. एक-दोन वर्षे शेती केल्यावर त्या शेताचा त्याग करण्यात येतो. कारण धूप व पाऊस यामुळे जमीनिची सुपिकता नाहीशी होते आणि म्हणून आदिवासी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी शेती करीत फिरत असतात. या पद्धतीमुळे जंगलाचे फार मोठे नुकसान झाले असून आदिवासीयांच्या अनिष्ट शेतीपद्धतीमुळे जंगल उत्पादनात कायम स्वरूपाची दुर्मिळता निर्माण झाली आहे. आदिवासीयांनी त्याग केलेल्या शेती बरोबर तोडून टाकलेली झाडेझुडपे अस्ताव्यरत स्थितीत तशीच सोडून पुढे जातात. त्यामुळे सहाजिकच फार मोठ्या जंगल संपत्तीचा नाश होतो. शेती उत्पादनाची सरासरी उत्पन्न फारच कमी असते की, ज्यामुळे आदिवासी आपले योग्य त्या रीतीने पोट भरू शकत नाहीत व आपले जीवनमानही सुधारू शकत नाहीत.

स्थानांतरित शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि आदिवासीयांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना कायम स्वरूपाची शेती करावयास लावणे हाच एक मार्ग आहे. याकरिता त्यांना साधी सुधारित शेतीपद्धती शिकवावी लागेल व स्थायी शेतीला आवश्यक असणारी साधनसामुग्री पुरवावी लागेल. आदिवासीयांना प्रेरक ठरेल अशा रीतीने पुरेशी साधनसामुग्री व पैसा पुरविल्याशिवाय हे लोक जुन्या पद्धतीचा त्याग करणार नाहीत कारण जुन्या पद्धतीत त्यांच्या गरजा मर्यादित असत आणि त्या ते सहजपणे भागवित असत. म्हणून आदिवासीयांनी शेती, बैल, अवजारे व खते इत्यादि शेतीसाठी मोफत पुरवावीत व राहण्यासाठी घरे, मुलांकरिता शाळा, पिण्याच्या पाण्याच्या विहरी वगैरे सुखसोयी पुरवाव्यात. म्हणून असे ठरविण्यात आले होते की, ५० कुटुंबियांची एक आदर्श वसाहत दक्षिण चंद्रपूर व डोंग भागात सुरू करावयाची. याचा उद्देश असा की, इतर स्थानांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांना स्थायी शेतीचा प्रयोग बघता यावा व त्याप्रमाणे त्यांनी पण नवीन स्थायी शेतीपद्धती अनुसरावी. या वसाहतीत या राज्यातील अमरावती जिल्ह्यात श्री. संत तुकडोजी महाराज यांनी वसवलेल्या झोपड्यांप्रमाणे ५० झोपड्यांचा समावेश असावा. या झोपड्या आधुनिक बांधणीच्या असून प्रत्येक झोपडीमागे ५०० रुपये खर्च येईल. याकरिता आवश्यक असलेले लाकूड जंगल खाते माफक दरात पुरवील व त्याकरिता खर्च ह्या योजनेतील अपेक्षित सूट देण्याच्या रकमेतून भागविता येईल. १,५०० रुपये खर्च करून एक विहीर या वसाहतीत असेल. औषधोपचार ही मुख्य गरज असल्याने १०० रुपये पर्यंत अगदी प्राथमिक स्वरूपाची औषधे असलेली पेटी पुरविण्यात येईल. ही वसाहत आदिवासी भागात राहाणार असल्याने आदिवासी विकास गटाकडूनही त्यांना औषधपाण्याच्या सवलती उपलब्ध होतील.

ह्या योजनेप्रमाणे अशा वसाहतींना खालील आर्थिक साहाय्य देण्याचे ठरविले होते.

(अ) जमीन :

अंदाजे १० एकर जमीन प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात यावी की, ज्यामुळे ते कुटुंब आपली उपजीविका चांगल्याप्रकारे करू शकतील. अपेक्षा होती की, जंगल खाते याकरिता प्रत्येक वसाहतीसाठी ५०० एकर जमीन मोफत देईल.

(ब) बैल :

३०० रुपयापर्यंत बैलजोडी प्रत्येक कुटुंबाला मोफत पुरविणे.

(क) नांगर व इतर शेतीची साधने :

२०० रुपये किमतीपर्यंत व इतर शेतीयोगी साधने, बैलगाडी प्रत्येक कुटुंबाला मोफत देणे.

(ड) दुय्यम पुरक घंदा करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला २०० रुपयापर्यंत गाई, शेळ्या व कोंबड्या पुरविणे.

(इ) ५० रुपयापर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला बी-बियाणे व खते पुरविणे.

(फ) प्रत्येक कुटुंबाला ३०० रुपयापर्यंत ते एक पीक काढेपर्यंत अन्नधान्य पुरविणे.

(ग) जमिनीची साफसफाई करणे, झाडेझुडपे तोडणे, बांध वगैरे घालणे यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला १०० रुपयापर्यंत मदत देणे.

वरील आर्थिक सहाय्याव्यतिरिक्त प्रत्येक वसाहतीत अंदाजे १,००० रुपये खर्चापर्यंतची साधी बांधणीची एक इमारत मुलांना शाळा म्हणून असेल. दरमहा ८० रुपये पगारावर एका शिक्षकाची नेमणूक केली जाईल. शाळकरी मुलांना कपडे, पाठ्या व पुस्तके विना-मुल्य देण्यात येतील. प्रत्येक शाळेवर अंदाजे खालीलप्रमाणे खर्च असेल:

| | रुपये |
|---------------------|-------|
| (१) आकस्मिक खर्च | १,००० |
| (२) पुनर्दंभवी खर्च | १,५०० |
| | <hr/> |
| एकूण | २,५०० |

आदिवासी कुटुंबांना शेतीपद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी जमिनीची मशागत कशी करावी, बांधबंधारे कसे घालावे याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी एक शेती जमादार व एक शिपाई याची नेमणूक करण्यात येईल. हे दोघेजण आदिवासीयांना शेतीच्या तांत्रिक बाबतीत मार्गदर्शन करतील. जमादार व शिपाई यांच्या पगारासाठी दरमहा २०० रुपये खर्च येईल. जमादाराने प्रत्यक्ष करावयाची ५ ते १० एकर तुकड्याची शेती एक आदर्श शेती वसाहतीत असेल. जमिनीची किंमत, बैल, बी, बियाणे, खते, शेती अवजारे यासाठी अंदाजे २०० रुपये खर्च येईल. जमादार व शिपाई यांना राहाण्यासाठी घरे पुरविली जातील. यासाठी अंदाजे ४०० रुपये खर्च येईल.

जनावरांना चारा जंगल खात्याकडून नाममात्र दराने पुरविला जावा या योजनेच्या खर्चाचा तपशील परिशिष्ट १ मध्ये दाखविला आहे.

समाजकल्याण खात्याने ही केन्द्र पुरस्कृत योजना प्रथमतः क्षेत्र संघटक, आदिमजाती कल्याण, अहेरी यांचेद्वारा अंमलात आणली व नंतर ह्या योजनेची कार्यवाही जिल्हा परिषद, चंद्रपूरकडे सुपूर्त करण्यात आली. या योजनेची कार्यवाही जानेवारी १९६० मध्ये सुरू

झाली आणि आतापर्यंत १५ ते २० मैलाच्या परिसरात १४६ कुटुंबांचे खालील ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले.

| वर्ष | खेड्याचे नाव | आदिवासी जमातीचे नाव | कुटुंबियांची संख्या | एकूण लोकसंख्या |
|---------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १९५९-६० | कोयर | छोटा माडीया | १३ | ७९ |
| | मुरंगळ | " | १२ | ६२ |
| १९६०-६१ | लाहेरी | बडा माडीया | ५ | ८६ |
| | बंगाडी | " | ११ | ५३ |
| | गुंडेनहोड | " | ९ | ५९ |
| १९६१-६२ | गोटपाडी | छोटा माडीया | २५ | ९४ |
| १९६२-६३ | पोएरकुटी | बडा माडीया | २५ | १०२ |
| १९६३-६४ | ताडपारी | बडा माडीया | १५ | ६६ |
| | बडंगे | छोटा माडीया | १० | ५० |
| १९६४-६५ | हिंदुर | बडा माडीया | १० | ६१ |
| | कोयर | छोटा माडीया | ४ | २२ |
| | मुरंगळ | " | ४ | २२ |
| | बोडांगा | " | ३ | १५ |
| | | एकूण | १४६ | ७१२ |

या वसाहतीतील प्रत्येक कुटुंबाला १० एकर जमीन मोफत देण्यात आली होती व १०० रुपये प्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला जमिनीची मशागत करण्यासाठी देण्यात आले होते. प्रत्येक कुटुंबाला ५०० रुपये घर बांधण्यासाठी देण्यात आले होते. आदिवासीयांच्या पद्धतीची १५० घरे बांधण्यात आली. जंगल खात्याने माफक दराने इमारती लाकूड पुरविले. प्रत्येक कुटुंबाला ३०० रुपये बैलजोडीसाठी देण्यात आले. याशिवाय ३०० रुपये किमतीची बैलगाडी व इतर शेतीची अवजारे प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात आली. ५० रुपये बी-बियांचे खरेदीसाठी प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात आले. कोंबड्या, शेळ्या, माई मोफत देण्यात आल्या.

प्रकरण ३ रे

स्थलांतरित शेती करणाच्या आदिवासीयांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीची पाहणी.

मध्यप्रदेश राज्याच्या बस्तर जिल्ह्यात लागून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नैऋत्य दिशेस असलेल्या दुर्गम डोंगराळ भागात राहाणारे बडा व छोटा माडिया आदिवासीयांमध्ये आजही स्थलांतरीत शेतीची पद्धत अस्तित्वांत आहे. अशी शेती करणारी एकूण ८४ कुटुंबे आहेत. त्यांचे वास्तव्य खालील खेड्यातून आहे :—

| अनुक्रमांक | खेड्याचे नाव | कुटुंब संख्या |
|------------|--------------|---------------|
| (१) | (२) | (३) |
| १ | बिनागणडा | १७ |
| २ | पेरमलभट्टी | १६ |
| ३ | कुच्वाकोडी | १६ |
| ४ | तिम्मेवाही | १९ |
| ५ | तुरेमारका | २० |
| ६ | उंचूर | ५ |
| ७ | दामनमारका | १ |
| | एकूण | ८४ |

८३ कुटुंबांच्या पाहणीमध्ये ७७ विभक्त कुटुंबे आणि ६ संयुक्त कुटुंबे आढळून आलीत हे पुढील तक्त्यावरून सिद्ध होते:

| अनु- क्रमांक | खेड्याचे नाव | कुटुंबातील | | प्रमुख व्यवसाय | शेरा |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | कुटुंबे संख्या | सरासरी इसमांची संख्या | | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | बिनागुण्डा | १७ | ४ | स्थलांतरीत शेती | २ संयुक्त कुटुंब |
| २ | पेरमल भट्टी | १६ | ५ | " | १ संयुक्त कुटुंब |
| ३ | कुव्वा कोडी | १६ | ४ | " | ३ संयुक्त कुटुंब |
| ४ | तिम्मेवाही | ९ | ५ | " | सर्व विभक्त कुटुंब |
| ५ | तुरेमारका | २० | ४ | " | " |
| ६ | उचूर | ५ | ६ | " | " |
| | एकूण | ८३ | २८ | | ६ संयुक्त कुटुंब ७७ विभक्त कुटुंब |

ही गावे महसूल खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत. या गावातून राहाणारे लोक दरवर्षी सरासरी ९३० एकरामध्ये स्थलांतरीत शेती करतात. दरवर्षी या व्यवसायासाठी उध्वस्त केले जात असणाऱ्या जंगलाच्या भागांची खालील तक्त्यावरून कल्पना येते,

| अनुक्रमांक | खेड्याचे नाव | कुटुंब संख्या | दरवर्षी सरासरी | |
|------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | तोडले जाणारे जंगल (एकर) | तोडले जाणारे जंगल (एकर) |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १ | बिनागुण्डा | १७ | १९६ | १९६ |
| २ | पेरमलभट्टी | १६ | १८० | १८० |
| ३ | कुव्वाकोडी | १६ | २०९ | २०९ |
| ४ | तिम्मेवाही | ९ | ७० | ७० |
| ५ | तुरेमारका | २० | १९२ | १९२ |
| ६ | उचूर | ५ | ७३ | ७३ |
| ७ | दामन मारका | १ | १० | १० |
| | एकूण | ८४ | ९३० | ९३० |

क्षेत्रमापन केलेल्या जंगलापैकी अशाप्रकारे १३० एकर जंगल स्थलांतरित शेती व्यवसायांसाठी बेकायदेशिररीत्या उपयोगात आणण्यात येते. विपुल जंगलाचा हा भाग असून, या भागांत सागवान लाकडांची कनिष्ठ जात, बांबू आणि इतर स्थानिक लाकडांच्या जातीची विपुल प्रमाणांत वाढ होते. बांबूचा उपयोग कागद बनविण्यासाठी होत असलेल्याने या भागाचे संरक्षण करणे आर्थिक दृष्ट्या आवश्यक आहे. हे जंगल रहदारीच्या रस्त्यांपासून जवळ जवळ ७६ मैल आत असल्यामुळे आणि वाहतुकीचे सुलभ मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे या दुर्गम क्षेत्रांतील अमौलिक संपत्तीचा सरकारला सध्यातरी काहीच उपयोग होत नाही.

लोकवस्ती :

या भागांतील पाहणी केलेल्या सहाही खेड्यांतील लोकवस्ती माडिया या आदिवासीयांचीच आहे. या खेड्यांतून विखुरलेल्या लोकवस्तीची कल्पना खालील तक्त्यावरून येते.

| अनु- क्रमांक | खेड्याचे नाव | कुटुंब संख्या | लोक संख्या | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|----------|------|
| | | | पुरुष | स्त्रिया | एकूण |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | बिनागुण्डा | १७ | ३७ | ३३ | ७० |
| २ | पेरमलभट्टी | १६ | ४८ | ३७ | ८५ |
| ३ | कुब्वाकोडी | १६ | ४२ | ४३ | ८५ |
| ४ | तिम्मेवाही | ९ | १५ | १३ | २८ |
| ५ | तुरेमारका | २० | ४१ | ३८ | ७९ |
| ६ | उंचूर (पुंगासूर) | ५ | १५ | २० | ३५ |
| | एकूण | ८३ | १९८ | १८४ | ३८२ |

शासनाने पुर्नवसीत केलेल्या 'लाहेरी' या गावांखेरीज इतर सर्व गावातून फक्त आदिवासीयांचीच लोकसंख्या आहे. मिश्र लोकवस्ती फक्त लाहेरी या खेड्यातच आहे.

व्यवसाय :

स्थलांतरित शेती हाच या भागांतील मुख्य व्यवसाय आहे, असे पाहणीवरून दिसते. परिशिष्ट (८) मध्ये दिलेल्या पाहणीच्या आराखड्यावरून प्रत्येक कुटुंब या व्यवसायांसाठी सरासरी १० एकर जंगल क्षेत्राचा वापर करते, आणि अति अल्प श्रमाने दरवर्षी अंदाजे ५००

ते ६०० रुपयांचे वार्षिक पीक दरवर्षीच्या नवीन जमीनीतून काढते. पूनर्वसित केलेला आदि-वासी शेतकरी बरेच परिश्रम करून ४ ते ५ एकर शेतीत स्थलांतरित शेतीपेक्षा कमी उत्पन्न काढतो. हे परिशिष्ठ तीनवर्षे दिवून येते. जंगल कापून शेती करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कमी क्षेत्र उपयोगांत आणण्याचे कारण म्हणजे जंगल तोडल्यानंतर झाडांच्या खोडांचा जमिनीत राहिलेल्या भागांमुळे जमीन नांगरण्यास अवघड जाते. पूनर्वसित शेतकऱ्यांना सुधारिलेल्या पद्धतीची शेतीची अवजारे व बी-बीयाणे देवूनसुद्धा शेतीचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न २०० ते ४०० रुपयांच्या जवळपास आहे. या विधानाच्या पुढ्यर्थ पाहणी केलेल्या स्थलांतरित शेती करणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता व पूनर्वसित शेतकऱ्यांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता सोबत दिला आहे :

सांख्यिकीय विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे, दि. १०/११/६०

| शेतकरी | | शेतकरी | | शेतकरी | | शेतकरी | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| एकर | एकर | एकर | एकर | एकर | एकर | एकर | एकर |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| २० | ३३ | २३ | २९ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २१ | २३ | २४ | २९ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २२ | ३४ | २४ | २९ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २३ | ३९ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २४ | २३ | ३३ | २९ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| २९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ३९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ४९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ५९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ६९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ७९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ८९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९१ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९२ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९३ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९४ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९५ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९६ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९७ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९८ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| ९९ | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |
| १०० | २३ | २९ | २ | ३३ | ३३ | ३३ | ३३ |

सांख्यिकीय विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे, दि. १०/११/६०

सांख्यिकीय विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे, दि. १०/११/६०

सांख्यिकीय विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे, दि. १०/११/६०

या वरून असा निष्कर्ष काढण्यात येतो की, सरकारी मदतीने आणि योग्य प्रयत्नांनी सुद्धा आदिवासीयांच्या आर्थिक विकासाची इच्छित उद्दीष्टे साध्य करण्यात यश आले नाही. कारण उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने एका कुटुंबाने १० एकर क्षेत्रात शेती करणे अशक्य आहे. याच कारणास्तव पुनर्वसीत केलेले आदिवासी स्थलांतरीत शेती पद्धतीपेक्षा स्थायी शेती व्यवसायावर खुश नाहीत याकरिता असे सुचविण्यात येते की;

(१) जंगल खात्याकडून वहितीसाठी घेतलेली जमीन शासनामार्फत बुलडोझरच्या साहाय्याने एकसारखी करून, पूर्णपणे साफ करून, मोजणी करून, शेतीयोग्य करूनच प्रत्येक कुटुंब प्रमुखाच्या स्वाधीन करावी.

(२) शासनाने दिलेले १० एकर कोरडवाहू जमीनीचे क्षेत्र ४ ते ६ माणसांच्या कुटुंबाचे पोषण करण्यास असमर्थ आहे.

(३) हा प्रदेश भात उत्पादक असल्यामुळे जलशींचनाची साधने उपलब्ध करण्यात यावीत.

प्राप्ती व खर्च :

आदिवासीयांची आर्थिक व्यवस्था वस्तु विनिमय व स्वतःच्या गरजा भागविण्याच्या तत्वांवर आधारलेली आहे. पुनर्वसीत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या व स्थलांतरीत शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या उत्पन्न व खर्चाच्या बाबींची पाहणीत गोळा केलेली माहिती पुढील तक्त्यात दिलेली आहे.

| क्र.सं. | व्यक्ति | उत्पन्न | खर्च |
|---------|---------|---------|------|
| १ | ... | ... | ... |
| २ | ... | ... | ... |
| ३ | ... | ... | ... |
| ४ | ... | ... | ... |
| ५ | ... | ... | ... |
| ६ | ... | ... | ... |
| ७ | ... | ... | ... |
| ८ | ... | ... | ... |
| ९ | ... | ... | ... |
| १० | ... | ... | ... |
| ११ | ... | ... | ... |
| १२ | ... | ... | ... |
| १३ | ... | ... | ... |
| १४ | ... | ... | ... |
| १५ | ... | ... | ... |
| १६ | ... | ... | ... |
| १७ | ... | ... | ... |
| १८ | ... | ... | ... |
| १९ | ... | ... | ... |
| २० | ... | ... | ... |

तक्ता
मौजे बिनागुण्डा, तालुका सिरोंचा

कुटुंबातील इसमांची संख्या शेतीपासून
अनु- कुटुंब प्रमुखाचे नाव कमविणारे अवलंबित मिळणारे
मांक उत्पन्न

(१) (२) (३) (४) (५)

| | | | | | रुपये | |
|------|---------------------|----|----|--------|-------|--------|
| १ | मुडी कारू दुर्वा | .. | .. | ५ | १ | १,०५० |
| २ | मुरा बोया पोदाडी | .. | .. | ३ | ३ | १,४०० |
| ३ | कुपला जाला कुडांगा | .. | .. | २ | ३ | ७०० |
| ४ | सोमा रेवण तालो | .. | .. | २ | .. | ७०० |
| ५ | दुग्गा मुरा तालो | .. | .. | १ | १ | ७०० |
| ६ | चैतु काना तालो | .. | .. | ५ | ३ | १,४०० |
| ७ | मासा अबा पारसा | .. | .. | ३ | १ | १,१२० |
| ८ | विज्जा मुरा उसांडी | .. | .. | ४ | .. | १,१९० |
| ९ | सायबी डोगो दुर्वा | .. | .. | १ | ३ | ७०० |
| १० | मुरा गूडसा कुडांगा | .. | .. | २ | २ | ८४० |
| ११ | दुग्गे बांगा पोदाडी | .. | .. | २ | १ | १,०५० |
| १२ | मासा कारू दुर्वा | .. | .. | ३ | २ | ८४० |
| १३ | दुग्गे दोब्बल तिम्ल | .. | .. | ५ | .. | १,५६० |
| १४ | मासा कोलाल पोदाडी | .. | .. | २ | ३ | ७०० |
| १५ | कोमा आमल पोदाडी | .. | .. | घरजावई | .. | .. |
| १६ | कुम्मा मुरा पोदाडी | .. | .. | ३ | .. | ८४० |
| १७ | बांडे मुरा पोदाडी | .. | .. | १ | .. | .. |
| एकूण | | | | ४७ | २३ | १४,७९० |

नं. १

येथील सर्व कुठुंबाच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत मजूरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजूरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्वाच्या वस्तू विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | ४० | ४० | .. | १,१३० | १८८.३३ |
| .. | ५० | ५० | .. | १,५०० | १६६.६६ |
| .. | ३० | २० | .. | ७५० | १५०.०० |
| .. | ३० | ३० | .. | ७६० | २८०.०० |
| .. | ३० | .. | .. | ७३० | ३६५.०० |
| .. | ५० | ४० | .. | १,४९० | १८६.२५ |
| .. | ४० | ३० | .. | १,१९० | २९७.५० |
| .. | ४० | ५० | .. | १,२८० | ३२०.०० |
| .. | ३० | २० | .. | ७५० | १८७.५० |
| .. | ३० | ४० | .. | ९१० | २२७.५० |
| .. | ४० | ५० | .. | १,१४० | ३८०.०० |
| .. | ३० | ४० | .. | ९१० | १८२.०० |
| .. | ५० | ५० | .. | १,६६० | ३३२.०० |
| .. | ३० | ३० | .. | ७६० | १५२.०० |
| .. | ५० | .. | .. | ५० | ५०.०० |
| .. | ५० | २० | .. | ९३० | ३१०.०० |
| .. | ५० | .. | .. | ५० | ५०.०० |
| .. | ६७० | ५३० | .. | १५,९९० | २२८.४२ |

मोजे बिनागुण्डा, तालुका सिरोंचा

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | खर्चाच्या बाबी | | |
|--------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | कम- विणारे | अव- लंबीत | अन्न | पोषाख व दाग- दागिने | मद्य, दारू, इत्यादि |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | मुडी कारू दुर्वा | ५ | १ | १,२६० | ६० | ० |
| २ | मुरा बोया पोदाडी | ६ | ३ | १,०५० | ११० | ० |
| ३ | कुपला जाला कुडांगा | २ | ३ | ४९० | ७० | ० |
| ४ | सोमा रेवग तालो | २ | ० | ४९० | ३५ | ० |
| ५ | डुगा मुरा तालो | १ | १ | ३५० | २० | ० |
| ६ | चंतु कानो तालो | ५ | ३ | १,१९० | १३० | ० |
| ७ | मासा आमला पारसा | ३ | १ | ९१० | ७० | ० |
| ८ | विज्जा मुरा डसांडी | ४ | ० | १,१२० | ७० | ० |
| ९ | सायबी डोगे दुर्वा | १ | ३ | ७०० | ७० | ० |
| १० | मुरा गुळसा कुडांगा | २ | २ | ७०० | ७० | ० |
| ११ | दुगे बोया पोदाडी | २ | १ | ८४० | ८० | ० |
| १२ | मामू पारू दुर्वा | ३ | २ | ७०० | ६० | ० |
| १३ | दुगे दोब्यल तिम्मल | ५ | ० | १,२६० | ७० | ० |
| १४ | मासा कोलाल पोदाडी | २ | ३ | ७०० | ८० | ० |
| १५ | कोमा आमलु पोदाडी | घरजावई | | ३० | १० | ० |
| १६ | कोमा मुठा पोदाडी | ३ | ० | ७०० | ५० | ० |
| १७ | बाडे मुठा पोदाडी | १ | ० | ३० | १० | ० |
| | एकूण | ४७ | २३ | १२,५२० | १,०६५ | ० |

नं. २

येथील सर्व कुटुंबांच्या वार्षिक सरासरी खर्चाचा तक्ता

| खर्चाच्या बाबी | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-------|--------------|-----------|----------------------|
| विडी, तंबाखू, इ. | दिवाबत्ती, जळण इ. | घर | सण, कार्यक्रम, उत्सव इ. | हॉटेल | मीठ व इतर | एकूण खर्च | सरासरी दरडोई खर्च |
| (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | .. | ५ | २० | १५ | १,३६० | २२६.६६ |
| .. | .. | .. | ५ | २० | १५ | १,२०० | १३३.३३ |
| .. | .. | .. | ५ | २० | १५ | ६०० | १२०.०० |
| .. | .. | .. | ५ | १० | १५ | ५५५ | १७७.५० |
| .. | .. | .. | ५ | १५ | १५ | ४०५ | २०२.५० |
| .. | .. | .. | ५ | ४० | १५ | १,३८० | १७२.५० |
| .. | .. | .. | ५ | ३० | १५ | १,०३० | २५५.५० |
| .. | .. | .. | ५ | ३० | १५ | १,२४० | ३१०.०० |
| .. | .. | .. | ५ | १५ | १५ | ८०५ | ३०१.२५ |
| .. | .. | .. | ५ | १० | १५ | ८०० | २००.०० |
| .. | .. | .. | ५ | ३० | १५ | ९७० | ३२३.२३ |
| .. | .. | .. | ५ | २० | १५ | ८०० | १६०.०० |
| .. | .. | .. | ५ | २० | १५ | १,३७० | २७४.०० |
| .. | .. | .. | ५ | २५ | १५ | ८२५ | १६५.०० |
| .. | .. | .. | ५ | १० | ५ | ६० | ६०.०० |
| .. | .. | .. | ५ | २० | १५ | ७९० | २६३.३३ |
| .. | .. | .. | ५ | १० | १५ | ७० | ७०.०० |
| .. | .. | .. | ८५ | ३४५ | २४५ | १४,२६० | २०३.७१ |

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न |
|--------|----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | कमविणारे | अवलंबील | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | | | | रुपये |
| १ | मासा वजा उसांडे | ५ | १ | १,०५० |
| २ | मासा नेण्डा तालोमी | ४ | २ | ७०० |
| ३ | विजा दुगा डेडडा | २ | १ | ५६० |
| ४ | आगा नेण्डा नागोंटी | ५ | २ | १,०५० |
| ५ | लालु कोपा उसांडी | २ | २ | ५६० |
| ६ | रामा गुण्डरू दुर्वा | ४ | २ | ७०० |
| ७ | बोया दोग्गे अुसांडे | ७ | १ | १,४०० |
| ८ | सोमा चमरू दुर्वा | २ | ३ | ५६० |
| ९ | रागु मुठा गुम्मा | २ | ३ | ५६० |
| १० | कुमा नेण्डा पोदाडी | ३ | २ | ७०० |
| ११ | वत्ते चैतु अुसांडी | ४ | १ | ७०० |
| १२ | कुम्मा वंजा उसांडी | ६ | १ | १,४०० |
| १३ | पेण्डा मालु वेंडदा | २ | २ | ५६० |
| १४ | मुसरे बिडवा मॅगा | १ | १ | ३५० |
| १५ | मुरा चमरू दुर्वा | ४ | २ | ७०० |
| १६ | महारूकट्टा तिम्मा | ५ | ३ | १,०५० |
| | एकूण | ५८ | २७ | १२,६०० |

नं. ३

सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत मजूरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजूरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्वाच्या वस्तू विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | .. | २४० | १,२९० | २१५.०० |
| .. | ५० | १० | .. | ७६० | २२६.६६ |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | १९०.०० |
| .. | ५० | १० | .. | १,११० | १५८.५७ |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | १४२.२२ |
| .. | २५ | १० | .. | ७३५ | १२२.०५ |
| .. | १०० | १० | .. | १,५१० | २१५.७१ |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | ११४.०० |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | ११४.०० |
| .. | .. | १० | .. | ७१० | १४२.०० |
| .. | .. | १० | .. | ७१० | १४२.०० |
| .. | ५० | १० | .. | १,४६० | २४३.३३ |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | १४२.५० |
| .. | .. | .. | .. | ३५० | १७५.०० |
| .. | ३० | १० | .. | ७४० | १२३.३३ |
| .. | २५ | १० | .. | १,०८५ | १३५.६२ |
| .. | ३३० | १४० | २४० | १३,३१० | १५६.५८ |

मौजे कुव्वाकोडा, तालुका सिरोंचा

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न |
|--------|----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | कमविणारे | अवलंबीत | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | | | | रुपये |
| १ | हरपा गुडसा असांडे | २ | ३ | ७०० |
| २ | हेडमा बंगा उसांडे | १ | २ | ७०० |
| ३ | उरजी गुडसा उसांडे | २ | १ | ७०० |
| ४ | सिंगा गुडसा उसांडे | २ | २ | ६३० |
| ५ | वत्ते मुरा | ७ | २ | १,५४० |
| ६ | सायबी दोब्बल कांगा | ४ | १ | १,०५० |
| ७ | कोप्पा पागु विडजा | ३ | २ | १,०५० |
| ८ | मुरा बंगा उसांडे | ५ | ० | १,१२० |
| ९ | केया गुडसा उसांडे | ५ | १ | १,१२० |
| १० | कोमा गुडसा उसांडे | ८ | ३ | १,५४० |
| ११ | केया कटिया पारसा | ३ | १ | ७७० |
| १२ | काना दसरू उसांडे | ५ | ३ | १,१२० |
| १३ | मुसरे मासा उसांडे | १ | १ | ३५० |
| १४ | पेण्डा भुसी उसांडे | ६ | १ | १,५४० |
| १५ | डोग्गे मुरा उसांडे | ३ | १ | ८४० |
| १६ | वत्ते वांगा उसांडे | ३ | १ | ८४० |
| | एकूण | ६० | २५ | १५,६१० |

नं. ५

येथील सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत मजुरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजुरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्वाच्या वस्तू विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | १४१.०० |
| ५० | .. | ५ | .. | ७५५ | २५१.६६ |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | २३५.०० |
| .. | .. | ५ | .. | ६३५ | १५८.०० |
| .. | .. | १० | .. | १,५५० | १७२.२२ |
| .. | .. | १० | .. | १,०६० | २१२.०० |
| .. | .. | ५ | .. | १,०५५ | २११.०० |
| .. | .. | १० | .. | १,१३० | २२६.०० |
| .. | .. | १० | .. | १,१३० | १८८.३३ |
| .. | .. | १० | .. | १,५५० | १४०.९० |
| .. | .. | ५ | .. | ७७५ | १९३.७५ |
| .. | .. | १० | .. | १,१३० | १४१.२५ |
| ५० | .. | ५ | .. | ४०५ | २०२.५० |
| .. | .. | १० | .. | १,५५० | २२१.४२ |
| .. | .. | ५ | .. | ८४५ | २१०.२५ |
| .. | .. | ५ | .. | ८४५ | २११.२५ |
| १०० | .. | ११५ | .. | १५,८२५ | १८६.१७ |

मोजे कुडवाकोडा, तालुका सिरोंचा

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | खर्चाच्या बाबी | | |
|--------|----------------------|---------------------------|---------|----------------|-------------------|---------------|
| | | कमविणारे | अवलंबीत | अन्न | पोशाख व दागदागिने | मद्य, दारू इ. |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| (११) | (०९) | (८) | (१०) | (९) | (१०) | (११) |
| | | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | इरपा गुडसा उसांडे | २ | ३ | ५६० | ९५ | .. |
| २ | हेडपा बंगा उसांडे | १ | २ | ४२० | ४० | .. |
| ३ | उरजी गुडसा उसांडे | २ | १ | ४२० | ५५ | .. |
| ४ | सिंगा गुडसा उसांडे | २ | २ | ५६० | ८० | .. |
| ५ | वत्ते मुरा | ७ | २ | १,३३० | १६० | .. |
| ६ | सायबी दोब्बल कांगा | ४ | १ | ७०० | ७० | .. |
| ७ | कोप्पा पागु विडजा | ३ | २ | ७०० | १०० | .. |
| ८ | मुरा बंगा उसांडे | ५ | .. | ७०० | ८० | .. |
| ९ | केया गुडसा उसांडे | ५ | १ | ८४० | ९५ | .. |
| १० | कोमा गुडसा उसांडे | ८ | ३ | १,४०० | २३० | .. |
| ११ | केया कटिया पारसा | ३ | १ | ७०० | ८० | .. |
| १२ | काना दसरू उसांडे | ५ | ३ | ८४० | १०५ | .. |
| १३ | मुसरे मासा उसांडे | १ | विधवा १ | ३५० | ४० | .. |
| १४ | पेण्डा मृसी उसांडे | ६ | १ | १,४०० | १०० | .. |
| १५ | डोग्गे मुरा उसांडे | ३ | १ | ७०० | ५५ | .. |
| १६ | वत्ते बांगा उसांडे | ३ | १ | ८४० | ४५ | .. |
| | एकूण | ६० | २५ | १२,४६० | १,४३० | .. |

नं. ६

येथील सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी खर्चाचा तक्ता

| खर्चाच्या बाबी | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|
| विडी, दिवाबत्ती तंबाखू, इ. | दिवाबत्ती जळण इ. | घर | सण कार्यक्रम उत्सव इ. | हॉटेल | मीठ व इतर खर्च | एकूण | सरासरी दरडोई खर्च |
| (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ६७५ | १३५.०० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ४७५ | १५८.३३ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ७ | ४८७ | १६२.३३ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ६५५ | १६३.७५ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | १,५१० | १६७.७७ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ७९० | १५८.०० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ८२० | १६४.०० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ८०० | १६०.०० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ९५५ | १५९.१६ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | १,६५० | १५०.०० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ७९५ | १९८.७५ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ९६५ | १२०.६२ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ४०० | २००.०० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | १,५२० | २१७.१४ |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ७७० | १९२.५० |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ९०० | २२५.०० |
| .. | .. | .. | ८० | .. | १९७ | १४,१६७ | १६६.६७ |

मौजे तिमनेवाही, तालुका सिरोंचा येथील

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न |
|--------|-----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | कमविणारे | अवलंबीत | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | | | | रुपये |
| १ | दोगे दुग्गा कांडगा | ३ | १ | ७०० |
| २ | मोडी केये वड्डे | २ | १ | ५६० |
| ३ | चैतु केरव पोदाडी | २ | १ | ४९० |
| ४ | दसरू गोगा तिममा | ३ | १ | ७०० |
| ५ | बिज्जा बिल्लो पुंगाटी | २ | ० | ५६० |
| ६ | चैतु कुम्मा विडपी | २ | ० | ३५० |
| ७ | नेण्डा करपा तिममा | २ | ० | ३५० |
| ८ | महारू बयाल पोदाडी | ३ | १ | ७०० |
| ९ | वत्ते कोन्या पुंगाटी | ३ | १ | ७०० |
| | एकूण | २२ | ६ | ५,११० |

नं. ७

सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत- मजुरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजुरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्त्वाच्या वस्तू विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|---|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | १७६.२५ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १८८.३३ |
| .. | .. | ५ | .. | ७९५ | १६५.०० |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | १७६.२५ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | २८२.५० |
| .. | .. | ५ | .. | ३५५ | १७७.५० |
| .. | .. | ५ | .. | ३५५ | १७७.५० |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | १७६.२५ |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | १७५.२५ |
| .. | .. | ४५ | .. | ५,१५५ | १८४.११ |

मोजे तिममेवाही, तालुका सिरोंचा येथील

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | खर्चाच्या बाबी | | |
|--------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | कम- विणारे | अव- लंबीत | अन्न | पोषाख व दाग- दागिने | मद्य, दारू, इत्यादि |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | दोगे दुग्गा कांडगा | ३ | १ | ४९० | ६५ | ० |
| २ | मुडी केये वड्डे | २ | १ | ३५० | ४५ | ० |
| ३ | चैतु केरव पोदाडी | २ | १ | ३५० | ४५ | ० |
| ४ | दसरु गोग्गा तिममा | ३ | १ | ४९० | ६५ | ० |
| ५ | बिज्ज बिल्लो पुंगाटी | २ | ० | २८० | ३५ | ० |
| ६ | चैतु कुम्मा विडपी | २ | ० | २८० | ३५ | ० |
| ७ | नेण्डा करपा तिममा | २ | ० | २८० | ३५ | ० |
| ८ | महारु बयाल पोदाडी | ३ | १ | ४९० | ७० | ० |
| ९ | वत्त कोन्या पुंगाटी | ३ | १ | ४९० | ६५ | ० |
| | एकूण | २२ | ६ | ३,५०० | ४६० | ० |

नं. ८

सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी खर्चाचा तक्ता

| खर्चाच्या बाबी | | | | | | | एकूण खर्च | सरासरी दरडोई खर्च |
|------------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| विडी, तंबाखू, इ. | दिवाबत्ती, जळण, इ. | घर | सण, कार्यक्रम, उत्सव इ. | हॉटेल | मीठ व इतर | | | |
| (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) | |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५७० | १४२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ४०५ | १३५.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ५०४ | १३५.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५७० | १४२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ३२५ | १६२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ३२५ | १६२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ३२५ | १६२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५७५ | १४३.७५ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५७० | १४२.५० | |
| .. | .. | .. | ४५ | .. | ६५ | ४,०७० | १४५.३५ | |

मौजे पुंगासूर (उंचूर), तालुका सिरोंचा

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न |
|--------|------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | कमाविणारे | अवलंबीत | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | काने चेतु पुंगाटी | २ | ३ | ५६० |
| २ | पोरीया बाले पुंगाटी | ३ | २ | ५६० |
| ३ | बगहल्ला गिल्ला पुंगाटी | ७ | २ | १,५४० |
| ४ | बिल्लो दुमे पुंगाटी | ६ | १ | १,५४० |
| ५ | केपे गिल्ला पुंगाटी | ४ | ३ | १,१२० |
| ६ | केपे बोगे पुंगाटी | २ | .. | ५६० |
| | एकूण | २४ | ११ | ५,८८० |

नं. ९

येथील सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत मजुरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजुरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्वाच्या वस्तु विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | ११४.०० |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | ११४.०० |
| .. | .. | १० | .. | १,५५० | १७२.२२ |
| .. | .. | १० | .. | १,५५० | २२१.४२ |
| .. | .. | १० | .. | १,१३० | १६१.४२ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | २८२.५० |
| .. | .. | ५५ | .. | ५,९३५ | १६९.५७ |

मोजे पुंगासूर (अंचूर), तालुका सिरोंचा येथील

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | खर्चाच्या बाबी | | |
|--------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | कम- विणारे | अव- लंबित | अन्न | पोषाख व दाग- दागिने | मद्य, दारू, इत्यादि |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | काने चैतु पुंगाटी | २ | ३ | ४९० | ८५ | .. |
| २ | पोरीया बाले पुंगाटी | ३ | २ | ४९० | ७५ | .. |
| ३ | बगेहला गिल्ला पुंगाटी | ७ | २ | १,०५० | १५० | .. |
| ४ | बिल्लो टुमे पुंगाटी | ६ | १ | ७०० | १२५ | .. |
| ५ | केपे गिल्ला पुंगाटी | ४ | ३ | ५६० | १३५ | .. |
| ६ | कुले बोंगे पुंगाटी | २ | .. | ४६० | ३५ | .. |
| | एकूण | २४ | ११ | ३,७५० | ६०५ | .. |

नं. १०

सर्व कुटुंबियांच्या वार्षिक सरासरी खर्चाचा तक्ता

| खर्चाच्या बाबी | | | | | | | एकूण खर्च | सरासरी दरडोई खर्च |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|----------------------|
| बिडी, दिवाबत्ती, तंबाखू, इ. | घर जळण, इ. | सण, कार्यक्रम, उत्सव इ. | हॉटेल | मीठ व इतर | रुपये | रुपये | | |
| (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | (१५) | |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५९० | ११८००० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५८० | ११६००० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | १,२२० | १३५५५ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ८४० | १२०००० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ७१० | १०१४२ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ५०५ | २५२५० | |
| .. | .. | .. | ३० | .. | ६० | ४,४४५ | १२७००० | |

मौजे तुरेमारका, तालुका सिरोंचा

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न |
|--------|----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | कमविणारे | अवलंबित | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | | | | रुपये |
| १ | दुलू वजा उसांडी | ३ | ० | ७०० |
| २ | महारु, व्रंजा पोदाडी | २ | ३ | ५६० |
| ३ | वंगा कुडडा पोदाडी | ३ | २ | ७७० |
| ४ | दोगी बया उसांडी | २ | ० | ४९० |
| ५ | बोंडगी मुसी पोदाडी | ४ | ० | १,१२० |
| ६ | सायबी गुडसी पोदाडी | ६ | १ | १,५४० |
| ७ | मल्ला बिचला पोदाडी | २ | १ | ५६० |
| ८ | बोरे वगोप्पा पोदाडी | ४ | ३ | १,०५० |
| ९ | मेसी सुका पोदाडी | २ | १ | ५६० |
| १० | वत्ते बोरा वड्डे | २ | १ | ५६० |
| ११ | बिज्जा दोगी पोदाडी | ३ | २ | ७७० |
| १२ | कोन्या मल्ली पोदाडी | २ | १ | ५६० |
| १३ | चैतु पैन्डो पोदाडी | ४ | १ | १,०५० |
| १४ | पेडे बया गोटाल | २ | २ | ५६० |
| १५ | महारु वत्ते उसांडे | ३ | ० | ७७० |
| १६ | डोगो मुटा उसांडी | २ | ० | ५६० |
| १७ | पिसा लिबडी पोदाडी | ३ | १ | ७०० |
| १८ | वजा फीरंगी पोदाडी | ३ | २ | ७७० |
| १९ | जगल कुस्टा वड्डे | २ | ० | ४९० |
| २० | बिज्जा वड्डे | २ | २ | ५६० |
| | एकूण | ५६ | २३ | १४,७०० |

नं. ११

येथील सव कुटुंबियांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत मजुरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजुरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्वाच्या वस्तु विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | २३५.०० |
| .. | .. | १० | .. | ५७० | ११४.०० |
| .. | .. | १० | .. | ७८० | १५६.०० |
| .. | .. | ५ | .. | ४९५ | २४७.५० |
| .. | .. | ५ | .. | १,१२५ | २८१.२५ |
| .. | .. | १० | .. | १,५५० | २२१.४२ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १८८.३३ |
| .. | .. | १० | .. | १,०६० | १५१.४२ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १८८.३३ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १८८.३३ |
| .. | .. | १० | .. | ७८० | १५६.०० |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १८८.३३ |
| .. | .. | १० | .. | १,०६० | २१२.०० |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १४१.२५ |
| .. | .. | ५ | .. | ७७५ | २५८.३३ |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | २८२.५० |
| .. | .. | ५ | .. | ७०५ | १७६.२५ |
| .. | .. | १० | .. | ७८० | १५६.०० |
| .. | .. | ५ | .. | ४९५ | २४७.५० |
| .. | .. | ५ | .. | ५६५ | १४१.२५ |
| .. | .. | १३५ | .. | १४,८३५ | १८७.७८ |

मोजे तुरेमारका, तालुका सिरोंचा येथील

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | खर्चाच्या बाबी | | |
|--------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | कम- विणारे | अव- लंबित | अन्न | पोषाख व दाग- दागिने | मद्य, दारू, इत्यादि |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | दुलू वंजा उसांडी | ३ | ० | ४९० | ४५ | ० |
| २ | महार वंजा पोदाडी | २ | ३ | ४९० | ६५ | ० |
| ३ | वंगा कुड्डा पोदाडी | ३ | २ | ४९० | १०५ | ० |
| ४ | दोगी बया उसांडी | २ | ० | ५६० | ७० | ० |
| ५ | बोडगा मुसी पोदाडी | ४ | ० | २८० | ३५ | ० |
| ६ | सायबी गुडसी पोदाडी | ६ | १ | ५४० | १३० | ० |
| ७ | मूला बिचला पोदाडी | २ | १ | ४९० | ४५ | ० |
| ८ | बोरे वगेप्पा पोदाडी | ४ | ३ | ८४० | १४० | ० |
| ९ | मेसी सुका पोदाडी | २ | १ | ३५० | ४५ | ० |
| १० | वत्ते बोय वड्डे | २ | १ | ३५० | ४५ | ० |
| ११ | बिज्जा दोगी पोदाडी | ३ | २ | ४९० | ८० | ० |
| १२ | वगेच्या मल्ला पोदाडी | २ | १ | ३५० | ५५ | ० |
| १३ | चैतु पेण्डो पोदाडी | ४ | १ | ७०० | १०० | ० |
| १४ | पेडे बया गोदाल | २ | २ | ४२० | ६५ | ० |
| १५ | महार वत्ते उसांडे | ३ | ० | ४९० | ४५ | ० |
| १६ | डोंगो मूठा उसांडी | २ | ० | ३५० | ३५ | ० |
| १७ | पिसा लिबडी पोदाडी | ३ | १ | ४९० | ६५ | ० |
| १८ | वंजा फिरंगी पोदाडी | ३ | २ | ४९० | ८० | ० |
| १९ | जंगल कुस्टा वड्डे | २ | ० | २८० | ३५ | ० |
| २० | बिज्जा वड्डे | २ | २ | ३५० | ७० | ० |
| | एकूण | ५६ | २३ | ९,४५० | १,३५० | ० |

नं. १२

सर्व कुटुंबियांच्या वार्षिक सरासरी खर्चाचा तक्ता.

| खर्चाच्या बाबी | | | | | | | एकूण खर्च (१४) | सरासरी दरडोई खर्च (१५) |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|--------|-------------------|------------------------------|
| बिडी, दिवाबत्ती, तंबाखू, इ. (८) | घर जळण, इ. (९) | सण, कार्यक्रम, उत्सव इ. (१०) | हॉटेल (११) | मीठ व इतर (१२) | इतर (१३) | | | |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५८० | १८३.३३ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ५७५ | ११५.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ६१५ | १२३.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ६४५ | १६१.२५ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ३२५ | १६२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ८५० | १२१.४२ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५५० | १८३.३३ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | १,००० | १४२.८५ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ४१० | १३६.६६ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ४१० | १३६.६६ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ५९० | ११८.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ४२० | १४०.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ८२० | १६४.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५०० | १२५.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५५० | १८३.३३ | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | ५ | ३९५ | १९७.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ५७० | १४२.५० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १५ | ५९० | ११८.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ३३० | १६५.०० | |
| .. | .. | .. | ५ | .. | १० | ४३५ | १०८.७५ | |
| .. | .. | .. | १०० | .. | २२५ | ११,१३० | १४०.८८ | |

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न |
|--------|----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | कमविणारे | अवलंबित | |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १ | जोगी दोबा | २ | १ | ३५० |
| २ | कुम्मा इरप्पा पल्लो | ४ | १ | ३४० |
| ३ | वंजा दसरु गोटा | २ | ४ | २६० |
| ४ | दोर्गे कोरपा | ३ | २ | १६० |
| ५ | बिज्जा मुक्का | २ | ३ | ३२० |
| | एकूण | १३ | ११ | १,४३० |

नं. १३

येथील सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी उत्पन्नाचा तक्ता

| शेत मजुरी- पासून मिळणारे उत्पन्न | जंगल मजुरीपासून मिळणारे उत्पन्न | जंगलातील गौण महत्वाच्या वस्तू विकून मिळणारे उत्पन्न | इतर उत्पन्न | एकूण उत्पन्न | सरासरी दरडोई उत्पन्न |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| ४० | २०० | .. | .. | ५९० | १९६.६५ |
| ५० | २०० | .. | .. | ५९० | ११८.०० |
| ८० | ३०० | .. | .. | ६४० | १०६.६६ |
| ६० | ३०० | .. | .. | ५२० | १०४.०० |
| ६० | २०० | .. | .. | ५८० | ११६.०० |
| २९० | १,२०० | .. | .. | २,९२० | १२१.६६ |

मोजे लाहेरी, तालुका सिरोंचा येथील

| अ. नं. | कुटुंब प्रमुखाचे नाव | कुटुंबातील इसमांची संख्या | | खर्चाच्या बाबी | | |
|--------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | कम- विणारे | अव- लंबित | अन्न | पोषाख व दाग- दागिने | मद्य, दारू, इत्यादि |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १ | जोगी दोबा | २ | १ | ४८० | ६० | ० |
| २ | कुम्मा इरप्पा पल्लो | ४ | १ | ५२० | ८० | ० |
| ३ | वंजा दसरु गोटा | २ | ४ | ५६० | ६० | ० |
| ४ | दोगे कोरपा | ३ | २ | ५२० | ६० | ० |
| ५ | विज्जा मुक्का | २ | ३ | ५०० | ६० | ० |
| | एकूण | १३ | ११ | २,५८० | ३२० | ० |

नं. १४

सर्व कुटुंबियांच्या सरासरी खर्चाचा तक्ता.

| खर्चाच्या बाबी | | | | | | एकूण खर्च (१४) | सरासरी दरदोई खर्च (१५) |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| बिडी, तंबाखू, इ. (८) | दिवाबत्ती, जळण, इ. (९) | घर (१०) | सण, कार्यक्रम उत्सव इ. (११) | हॉटेल (१२) | मीठ व इतर (१३) | | |
| रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| ५ | ५ | .. | १० | १५ | .. | ५७५ | १९१.६६ |
| १० | १० | .. | १० | ३० | .. | ६६० | १३२.०० |
| १० | १० | .. | १० | २० | .. | ६३० | १११.६६ |
| १० | १० | .. | १० | ३० | .. | ६४० | १२८.०० |
| १० | १० | .. | १० | २० | .. | ६१० | १२२.०० |
| ४५ | ४५ | .. | ५० | ११५ | .. | ३,१५५ | १३१.४५ |

गोळा केलेल्या या माहितीवरून, आदिवासीयांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न इतर जाती-जमातींच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नापेक्षा अगदीच कमी आहे, ही बाब ठळकपणे दिसून येते. कुटुंबातील इसमांची सरासरी संख्या ५ घरल्यास स्थलांतरित शेती करणाऱ्या कुटुंबात दरडोई सरासरी वार्षिक उत्पन्न २२७.८७ आणि पुनर्वसीत आदिवासी कुटुंबात दरडोई सरासरी वार्षिक उत्पन्न १३१.१९ इतके आढळून आले. यावरून हे सिद्ध होते की, स्थलांतरित शेती व्यवसायामध्ये पुनर्वसीत आदिवासी यापेक्षा दरडोई सरासरी वार्षिक उत्पन्न जास्त आहे.

स्थलांतरित शेती करणाऱ्या विभागात एकूण उत्पन्नाच्या ९९ टक्के उत्पन्न शेतीपासून व १ टक्के उत्पन्न जंगल संपत्ती किंवा शेतमजूरीने मिळविले जाते. या उलट पुनर्वसीत स्थायी शेती करणाऱ्या आदिवासीयांच्या उत्पन्नापैकी ५५ टक्के शेतीपासून, ४० टक्के जंगल मजूरीपासून आणि बाकीचे ५ टक्के शेतमजूरीपासून व इतर व्यवसायातून मिळविले जाते.

सर्व साधारणतः शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न हे उपजिविकेकरिता लागणारे उत्पन्न असल्यामुळे व तसेच मजूरीपासून मिळणारे उत्पन्न वस्तुरूपाने मिळणारे असल्यामुळे बहुतेक आदिवासीयांची उत्पन्नाची बाब पैशांच्या स्वरूपात नसते. त्यामुळे आदिवासीयांमध्ये आर्थिक व्यवहारासाठी वस्तुविनिमयाची पद्धत रूढ आहे आणि याच कारणामुळे आदिवासीयांचे इतर समाजाकडून शोषण होत आहे आणि या लोकांच्या उन्नतीमध्ये आडकाठी येत आहे.

खर्चाच्या सर्व बाबींच्या पाहणीअंती असे निदर्शनास आले आहे की, कुटुंबाच्या अंदाज-पत्रकामध्ये अन्न हाच प्रमुख घटक असून त्यानंतर कपडे, सण व इतर कार्यक्रमांचा समावेश होतो. शिक्षण व वैद्यकीय उपचार यावर अजिबात खर्च केला जात नाही. तंबाखू आणि मद्य जरी आदिवासीयांच्या दररोजच्या उपयोगातल्या अत्यावश्यक बाबी असल्या तरी या घटकांवर उत्पन्नातून खर्च होत नाही. कारण घरगुती उपयोगांसाठी लागणारी तंबाखू, या भागातील आदिवासी स्वतःच्या घराच्या आजूबाजूस अगर घरांमागील परसात पिकवितो. तसेच दारू गाळून मद्यपानाची गरज भागवितो.

या भागातील आदिवासी चैनीपासून जरी दूर आहेत तरी त्यांना दाग-दागिन्यांची फारच आवड आहे. हे लोक वर्षातून एकदाच, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अहेरी, किंवा वस्तरमधील नारायणपूर या मोठ्या बाजाराच्या ठिकाणी किंवा यात्रांच्या ठिकाणी दाग-दागिने विकत घेतात. स्थलांतरित शेती करणाऱ्या ज्या आदिवासीयांना पुनर्वसीत केले आहे त्यांना या व्यतिरिक्त हॉटेलची आवड निर्माण झाली असून या बाबींवर वर्षातून सरासरी ५ ते १० रुपयांपर्यंत ते खर्चही करतात. शहरी जीवनातील करमणुकीच्या व चैनीच्या साधनाविषयी स्थलांतरीत शेती करणाऱ्या व पुनर्वसीत माडियामध्ये अजिबात आस्था निर्माण झालेली नाही.

खर्चाच्या विविध बाबींचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे :—

अन्न :

त्यांचे अन्न अगदी साधे असते. त्यांच्या रोजच्या जेवणात 'कोसरे' या जातीचे निकृष्ट धान्य, शेतात पिकविलेली आंबाडीची भाजी आणि बालाच्या शेंगा इत्यादींचा समावेश असतो. उत्पन्नाच्या तक्त्यावरून असे निदर्शनास येते की, स्थलांतरीत शेती करणारा माडिया गोंड गरजेपेक्षा जास्त धान्य उत्पादन करतात तर पुनर्वसीत माडिया गोंड गरजेपुरतेही धान्य पिकवू शकत नाहीत. जंगलातील विविध प्रकारची फळे, कंदमुळे व शिकार यांचा अन्न म्हणून उपयोग करतात. पुनर्वसीत आदिवासी गरजेपेक्षा कमी धान्य पिकवित असल्यामुळे समाजकल्याण खात्यामार्फत पोषणाकरिता व महसूल खात्यामार्फत खावटी तकावीच्या रूपाने मदत देण्यात येते. याचे कारण पुनर्वसीत माडियाचा संपर्क इतर जातींशी आल्यामुळे त्यांच्या अन्नसंवयी बदललेल्या आहेत. उदाहरणार्थ.—कोसरी-ऐवजी तांदळाचा व डाळींचा उपयोग ते त्यांच्या जेवणात करीत आहेत व स्वतःच्या शेतातून तांदळाचे व इतरांचे पीकही घेतात. खाण्याच्या बाबतीत त्यांचा कोणताच विधिनियेध नाही कारण माडिया सर्वभक्षी आहेत. सणावारी खाण्यासाठी हे लोक कोंबड्या पाळतात.

मद्यार्क पेये :

या विभागातील आदिवासी ताडीच्या झाडांपासून आणि 'गोरगा' या नावाच्या झाडांपासून अनुक्रमे ताडी व गोरगा या नावाची पेये तयार करून, पिऊन संबंध दिवसभर त्यांच्या धुंदीत मस्त असतात. गोरगाच्या झाडाचा रस ते पिण्यापेक्षा अन्नघटक म्हणूनच उपयोग करतात.

तंबाखू :

स्वतःच्या गरजेइतकी तंबाखू हे माडिया घराच्या आजुबाजूस पिकवितात त्यामुळे तंबाखूवर त्यांचा अजिबात खर्च होत नाही.

जळण :

या भागातील आदिवासी, जंगलात विपुल प्रमाणावर मिळणाऱ्या लाकडांचा उपयोग जळणासाठी करतात. ते राहत्या घरात शेकोटी करतात त्याचाच उपयोग ते त्यांच्या अर्धनग्न शरीरास उब आणण्यासाठी, अन्न शिजविण्याकरिता आणि प्रकाशासाठी करतात. या उलट कांही पुनर्वसीत आदिवासी इतर लोकांच्या संपर्कामुळे प्रकाशासाठी रॉकेलचा उपयोग करू लागले आहेत. एकंदरीत या बाबींवरसुद्धा काहीच खर्च होत नाही.

पौषाख :

स्थलांतरित शेती करणाऱ्या व पुनर्वसित माडियांमध्ये पौषाखाच्या बाबतीत बराच फरक आढळून येतो. स्थलांतरित शेती करणाऱ्या माडिया पुरुषांच्या अंगावर, कमरेपासून गुडघ्यापर्यंत गुंडाळलेले फडके व अंगात कोपरीवजा अंगरखा असतो तर स्त्रिया फक्त कमरे-भोवतीच एक कापड गुंडाळतात. मुले तर उघडीनागडीच असतात. याउलट पुनर्वसित माडिया हळूहळू अंगभर कपड्यांचा वापर करू लागले आहेत. काही पुरुष सदरा व धोतर वापरतात तर काही स्त्रिया लुगडे वापरू लागल्या आहेत. सारांश, पुनर्वसित माडिया, स्थलांतरित शेती करणाऱ्या माडियापेक्षा पौषाखावर जास्त खर्च करतात. संकलित माहितीनुसार स्थलांतरीत शेती करणारा माडिया उत्पन्नाच्या शेकडा १५ टक्के पौषाखावर खर्च करतो तर पुनर्वसित माडिया उत्पन्नाच्या शेकडा २० टक्के पौषाखावर खर्च करतो.

दागिने (अलंकार) :

आदिवासीयांना अलंकारांची फारच हौस असते. धातुपासून बनविलेले दागदागिने, कांचेच्या मण्यांच्या माळा याची खरेदी यात्रेच्या बाजारात केली जाते. प्रत्येक कुटुंबात दरवर्षी सरासरी १५ ते २० रुपये निरनिराळ्या अलंकारांच्या खरेदीवर खर्च केले जातात.

सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम :

अन्न आणि पौषाखानंतर आदिवासी जीवनात खर्चाची महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक कार्यक्रम व धार्मिक कृत्ये होय. त्यांना स्वतःच्या जमातीबद्दल प्रखर निष्ठा असते. प्रत्येक धार्मिक विधीच्या वेळी ते सर्वजण एकत्र येतात. देवाला प्रसन्न करण्यासाठी बळी देण्याची प्रथा त्यांच्यामध्ये प्रचलित आहे. धार्मिक कृत्यांचा शेवट एकत्रित खाणेपिणे व नाच-गाण्यांनी करतात. प्रत्येक गावात धर्मप्रमुख असतो. त्यालाच सर्व धार्मिक कृत्यात मुख्य स्थान असते. त्याला 'कुर्मा' म्हणतात. स्थलांतरित शेती करणाऱ्या आणि पुनर्वसित माडियांच्यामध्ये प्रचलित असलेल्या सणांची थोडक्यात माहिती खाली दिली आहे. सर्व धार्मिक विधींचा संबंध शेतकीच्या वेगवेगळ्या कामाशी असतो.

(१) **पिण्डी पंडुभः**—या सणानंतर शेतीसाठी जंगल तोडण्यास सुरवात करतात. खेड्याच्या सीमेवर हा सण सामुदायिकरीत्या साजरा केला जातो. भात अगर कोसरा, कोंबडी व ५० पैसे प्रत्येक कुटुंबाकडून एकत्र करून कुर्मापर्वत हा सण साजरा करतात. या सणामध्ये सर्व लोक भाग घेतात.

(२) **बिजा पंडुभः**—हा पेरणीचा सण आहे. या सणानंतर पेरणीस सुरवात करतात.

(३) पूना पंडूम्.—शेतात तयार झालेला नवीन भाजीपाला खाण्यास सुरवात करण्याचा हा सण आहे.

(४) इयाटा पंडूम्.—डिसेंबर महिन्यात हा सण साजरा करतात. नवीन पिके आल्यानंतर हा सण साजरा करतात.

या सणांखेरीज आदिवासी लोक जन्म, लग्न व मृत्यू या आणि इतर सामाजिक कृत्यांवर खाणेपिणे, नाचगाणे यासाठी उधळेपणाने घराच पैसा खर्च करतात. या खर्चासाठी त्यांच्यामधीलच चांगल्या सुखवस्तु माणसाकडून मदत घेतात व धान्य आणि श्रमाच्या मोबदल्यात परतफेड करतात. एकंदरीत धार्मिक व सामाजिक कृत्ये त्यांच्या खर्चाची महत्त्वाची बाब आहे.

याव्यतिरिक्त घर व शेतसारा यासाठी त्यांना काहीच खर्च करावा लागत नाही, कारण जंगलातील लाकूडफाटा गोळा करून स्वतःचे घर स्वतः तयार करतात. कर आकारणीसाठी शेतीखाली आणलेल्या क्षेत्राची मोजणी अजून झाली नसल्यामुळे शेतसारा भरावा लागत नाही. त्यांच्या उत्पन्न व खर्चाच्या बाबींच्या पाहणीवरून एकंदरीत असे निदर्शनास येते की, या भागातील या आदिवासीयांच्या गरजा व त्या अनुषंगाने खर्चाच्या बाबी अगदी कमी असल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती स्वयंपूर्ण आहे.

कर्ज.—या भागातील आदिवासीयांमध्ये कर्जबाजारीपणा अजिबात नाही. ही बाब प्रामुख्याने नजरेत भरते. अहेरी जमीनदारी नष्ट होऊन, कर्ज विमुक्ती कायद्याच्या (Debt Reconciliation Act) अंमलबजावणीनंतर त्यांनी कर्ज घेणे बंद केले, आणि आज सर्व आदिवासी कर्जमुक्त आहेत. सन १९६५-६६ साली पुनर्वसित आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ५० कुटुंबांना महसूल खात्यामार्फत, प्रत्येक कुटुंबास ७५० रुपये याप्रमाणे खावटी तकावी म्हणून देण्यात आले. त्यापैकी फक्त १८७ रुपये व ५० पैसे ४ $\frac{१}{२}$ रुपये व्याजाच्या दराने ३ वर्षात परतफेडीचे ध्यावयाचे कर्ज आहे.

जनावरे.—स्थलांतरित शेती करणाऱ्या माडियामध्ये अगदीच कमी आहेत. फक्त पुनर्वसित आदिवासी शेतकऱ्यांकडे सरकारी सहाय्याने मिळालेली जनावरे आढळतात. गाई व म्हशीचा उपयोग दूध काढण्याऐवजी शेतीच्या कामासाठी करतात. गाईचा उपयोग नव्हेल पैदाशीसाठी करतात. सामाजिक व धार्मिक विधींच्या वेळी कोंबड्यांचा वळी देतात. अडी खात नाहीत. अड्यांपासून पिल्लेच काढली जातात. जनावरांची संख्या दर्शविणारा तथता पुढे दिला आहे.

जनावरांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

| अनुक्रमांक | खेड्यांचे नाव | शेती करण्याचा प्रकार | कुटुंब संख्या | जनावरांची संख्या | | | | |
|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|--------|--------|------|----------|
| | | | | बैल | गाई | शेळ्या | डुकर | कोंबड्या |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) |
| १ | तिम्मेवाही | .. स्थलांतरीत शेती | ९ | .. | .. | १ | ६ | ७ |
| २ | कुडवाकोडी | .. " | १६ | .. | २१ | २ | १० | ६ |
| ३ | तुरेमारका | .. " | २० | .. | .. | .. | ५ | १० |
| ४ | पेरमल भट्टी | .. " | १६ | .. | १ | .. | ७ | ५ |
| ५ | उंचूर | .. " | ५ | .. | .. | २ | २ | २ |
| ६ | विनगुंडा | .. " | १७ | १ | १८/२ | .. | ९ | १२ |
| ७ | लाहिरो | .. पुर्नवासित स्थायी शेती. | ५ | १० | ३/४ | २ | ४ | १० |
| ८ | कोथर | .. " | १७ | ३४ | १७/४ | ४ | ७ | २० |
| ९ | मुरंगल | .. " | १६ | ३२ | १६/७ | २ | ५ | १२ |
| १० | वांगडी | .. " | ११ | २२ | ११ | ५ | २ | १६ |
| ११ | गुण्डेन होड | .. " | ९ | १८ | ५ | ३ | ३ | ६ |
| १२ | पांथर कुट्टी | .. " | २५ | ५० | २० | १० | ६ | २० |
| १३ | ताडपरी | .. " | १५ | ३० | १५ | २ | ५ | ८० |
| १४ | बोडामे | .. " | १० | २० | ८ | ३ | ३ | ८ |
| १५ | हिडुर .. | .. " | १४ | २८ | १० | १० | ५ | १२ |
| | एकूण | .. | २०५ | २४५ | १५५/१७ | ४६ | ४९ | २१६ |

४

स्थलांतरित शेती करण्याबद्दल दृष्टीकोन :

स्थलांतरित शेती करणाऱ्या एकूण ८४ माडिया कुटुंबांपैकी ८३ माडिया कुटुंबियांना विचारले असता सर्वजण स्थलांतरित शेतीचे पाठीराखे असून पुनर्वसित केलेल्या स्थायी शेतकऱ्याप्रमाणे शेती करण्यास कोणीही तयार नाही. त्याची कारणे अशी आहेत—

(१) स्थलांतरित शेतीची पद्धत ही त्यांच्या पूर्वजांपासून चालत आलेली शेतीची पद्धत आहे.

(२) महिन्याच्या थोडक्या काळात अतिअल्प श्रमांनी भरपूर पीकही या स्थलांतरित शेतीमुळे मिळते. वयस्कर माणसांच्या मते त्यांचे दररोजचे जीवन कंटाळवाणे व नीरस होत चालले आहे. तसेच शेतीशी संबंधित असलेल्या उत्सवांचा डामडोल दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. सामुदायिक शिकार, नाच आणि गाणी यांची मजा दिवसेंदिवस नीरस होत आहे. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे मागच्या काळातील जीवनांमधील सुख व आनंद दिवसेंदिवस कमी होत आहे. तरीमुद्धा हे म्हातारे लोक स्थलांतरित शेतीची ही जुनाट पद्धत सोडण्यास तयार नाहीत. कारण स्थलांतरित शेती ही भूतकाळापासून त्यांच्या वंशपरंपरेने चालत आलेला सांस्कृतिक वारसाच आहे, असेच त्यांना वाटते. काही पुनर्वसित माडिया शेतकरी स्थायिक शेती सोडून पुन्हा स्थलांतरित शेती करणाऱ्या लोकांमध्ये सामील झाले आहेत. स्थायी शेतीच्या पद्धतीपेक्षा स्थलांतरित शेतीची पद्धत ही उत्तम प्रकारची शेती आहे असा त्यांचा दृढ समज झाला आहे.

पुनर्वसित माडियांच्या ४५ कुटुंबांना विचारले असता त्यांनी असे सांगितले की, त्यांनी ज्या दिवसापासून स्थिर पद्धतीची शेतीची पद्धत अवलंबिली व नांगरट करावयाला सुरवात केली तेव्हापासून त्यांना उत्पन्न निघाले नाही. हेच लोक पूर्वी स्थलांतरित शेती करून थोड्याशा परिश्रमाने वाटेल ते धान्य पुरेसे पिकवीत असत ; परंतु पुनर्वसित केंद्रातील, सरकार यंत्रणेच्या शेती पद्धतीत, ठराविक पिकेच काढावी लागतात व त्याचेही भरपूर पीक येत नाही. त्यातच इतर समाजाच्या सहवासामुळे त्यांच्या गरजा दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या सर्व कारणांमुळे पुनर्वसित स्थायी शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मते देखील स्थलांतरित शेतीची पद्धतच उत्तम प्रकारची आहे. मालकी हक्कांच्या जमिनीची पद्धत सपाटीवर, इतर कामासाठी मिळणाऱ्या पैशातील रोजगारीमुळे तक्षण पिढी मात्र स्थायी शेतीकडे आकर्षिली जात आहे.

पाहणीमध्ये संकलित केलेल्या माहितीचा निष्कर्ष जरी स्थलांतरित शेतीच्या बाजूचा असला तरी पूर्वी सूचित केल्याप्रमाणे जी माडिया कुटुंबे आजही स्थलांतरित शेतीच्या जुन्या व पारंपरिक पद्धतीने शेती करीत आहेत, त्यांचे मन स्थायी व आधुनिक शेतीपद्धतीकडे वळविणे व त्यायोगे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारून, इतर पुढारलेल्या समाजाच्या

प्रकरण चौथे

अनुमान व सूचना

पुनर्वसनासाठी केलेल्या लोकांची निवड :

पाहणीअंती असे आढळून आले की, पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी या भागाची व येथील लोकांची समाजकल्याण किंवा जंगल खात्यामार्फत पद्धतशीर पाहणी करण्यात आली नाही. बडा माडिया व छोटा माडिया टेकड्यांवरील, खाली दिलेल्या खेड्यांतून राहाणाऱ्या माडिया आदिवासीयांनाच स्थलांतरित शेती करणारे समजून, सपाटीवरील पुनर्वसन केन्द्रात प्रवेश देऊन त्यांचेच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ज्या खेड्यातील लोकांना पुनर्वसित करण्यात आले त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :—

- (१) बिना गुण्डा.
- (२) दामन मारका.
- (३) पेरमल भट्टी.
- (४) कुव्वाकोडी.
- (५) तिस्मेवाही.
- (६) गुण्डेन होड.
- (७) उंचूर (पूंगासूर).
- (८) मोरामेट्टा.
- (९) कामरकोडी.
- (१०) मेसीली.

वास्तविक ही पद्धत अशास्त्रीय आहे. कारण मानववंश शास्त्र पद्धतीनुसार पुनर्वसित करावयाच्या सर्व कुटुंबांची पाहणी करणे आवश्यक होते. हिदुर शेती केन्द्रात तीन कुटुंबे अशी आहेत की, ज्यांनी कधीच स्थलांतरित शेती केलेलीच नाही. या तीन कुटुंबातील सर्व लोक जंगल मजुरीचा धंदा करीत होते. पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी मात्र त्यांना स्थलांतरित शेती करणारे समजून पुनर्वसन केन्द्रात समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे.

जमिनोचे वाटप आणि बांधबंदिस्ती :

जंगल खात्याने एकूण १,५८० एकर क्षेत्रातील जंगलांची तोड करून शेतीसाठी जमीन दिली. जंगल खात्याने दिलेली जमीन व बांधबंदिस्ती केलेली जमीन यांची यादी परिशिष्ट ५ वर दिलेली आहे. पाहणीवरून असे दिसून येते की, सरासरी फक्त ४ एकर जमीन प्रत्येक पुनर्वसित शेतकऱ्याने वडिलीखाली आणलेली आहे.

घर बांधणी :

आदिवासी लोकांच्या वंशपरंपरागत घरबांधणीसाठी शासनाने अंदाजपत्रकात ५०० रुपयांची तरतूद केलेली आहे. घरबांधणीस लागणारा लाकूडफाटा वन विभागाकडून योग्य त्या किमतीत पुरविण्यात येईल असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. पाहणीमध्ये असे दिसून आले की, लाहेरी आणि मुरंगलच्या पुनर्वसित केन्द्रामध्ये, पुनर्वसित आदिवासीयांची घरे निर्धारित पैश्यातच तीन-तीन वेळा बांधण्यात आलेली आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, प्रथम बांधलेली घरे ५०० रुपये किमतीची नसावीतच. आदिवासीयांच्या वंशपरंपरागत घरबांधणीच्या पद्धतीप्रमाणे प्रत्येक घरास दोन खोल्या, एक पडवी आणि जनावरांसाठी स्वतंत्र गोठा अशी तरतूद या योजनेत केलेली आहे. बांधलेल्या एकूण १५० घरांपैकी फक्त १०० घरांच्या छपरांवर देशी कौले असून ५० घरांची छपरे गवताने आच्छादिलेली आहेत. म्हणून अशी सूचना करण्यात येते की, आगीपासून घरांच्या सुरक्षिततेसाठी उरलेल्या ५० घरांच्या छपरांवर देशी कौले घालण्यात यावीत. उरलेल्या घरांच्या छपरांवर देशी कौले घालण्यासाठी १७,५०० रुपयांची गरज लागेल, असा अंदाज आहे.

घरांच्या नमुन्याचा कच्चा आराखडा घरबांधणीपूर्वी तयार केला गेला नव्हता. विशेषतः मुरंगल, बांगडी आणि गुण्डेनहोड या गांवांतील घरे बिगर आखणीची आणि बिगर आराखडाची बांधण्यात आलेली आहेत. कारण पुनर्वसन केन्द्राच्या वित्त अंदाजपत्रकामध्ये माडियांच्या सामाजिक जीवनाचा मध्यबिंदू असलेल्या 'घोटुल' या सार्वजनिक घरांसाठी पैश्यांची तरतूद केलेली नसताना सुद्धा लोकांनीच श्रमदानाने प्रत्येक पुनर्वसन केन्द्रामध्ये अशा प्रकारचे 'घोटुल' बांधलेले आहे. या सार्वजनिक केन्द्राच्या देखरेखीसाठी व वार्षिक दुरुस्तीसाठी वित्त अंदाजपत्रकात सालिना १०० रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.

विहीर :

वित्त अंदाजपत्रकाच्या तरतुदीनुसार ५० घरांच्या घटकांसाठी एक पिण्याच्या पाण्याची विहीर मजूर करण्यात आलेली आहे. याच तरतुदीनुसार रुपये १,५०० प्रत्येकी प्रमाणे मुरंगल व गोटापाडी या दोन केन्द्रात दोन विहिरी खोदण्यात आल्या. त्यापैकी मुरंगल येथील विहिरीचा, आजूबाजूचा मातीचा बराच मोठा भाग खचल्यामुळे ती विहीर लोकांच्या उपयोगाची राहिलेली नाही. लाहेरी केन्द्रातील पुनर्वसित लोकांना, शेती प्रात्यक्षिक केन्द्रातील विहिरीवरून पाणी भरावे लागते. एकूण १० वसाहतीपैकी ७ वसाहतीमधून पिण्याच्या पाण्याची सोयच केलेली नाही. म्हणून या सात वसाहतीतील लोकांना ओढ्या-नाल्याचे पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे हे लोक बऱ्याच सांसर्गजनिक रोगांची चटकन शिकार होतात. आरोग्यदृष्ट्या चांगल्या पाण्याच्या सोयीसाठी प्रत्येक वसाहतीमध्ये एक पिण्याच्या पाण्याची विहीर खोदण्यात यावी. याकरिता आवश्यक घरांच्या संख्येची अंठ शिथिल करण्यात

यावी असे सूचविण्यात येते. "वर्गीकृत जमाती व वर्गीकृत क्षेत्रांच्या पाहणीसाठी नेमलेल्या कमिशनने" (Scheduled areas and Scheduled Tribes Commission) याच कारणासाठी, अशाच प्रकारची सूचना त्यांच्या अहवालामध्ये केलेली आहे. म्हणून खालील आठ वसाहतीमधून प्रत्येकी एक एक विहीर खोदण्यासाठी पैश्यांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात यावी :-

- (१) ताडपरी.
- (२) गुण्डेनहोड.
- (३) बांगडी.
- (४) हिद्दूर.
- (५) पोयर कुट्टी.
- (६) कोयर.
- (७) मुरंगल.
- (८) बोडंगो.

शेतातील झाडेबुडपे तोडणे, जमीन सपाट करणे, जमिनीची बांधबंदिस्ती करणे आणि जमीन स्वच्छ करणे यासाठी प्रत्येक कुटुंबासाठी मंजूर केलेली १०० रुपयांची तरतूद :-

वरील सर्व प्रकाराने जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी १० एकर जमिनीच्या क्षेत्रासाठी फक्त १०० रुपयेच दिले जातात. जमीन सपाट करणे, बांध घालणे व जमिनीची इतर कामे करण्यासाठी १०० रुपये अति अल्प असल्यामुळेच १० एकर क्षेत्रापैकी प्रत्येक कुटुंबाकडून फक्त ४ एकर जमिनीचीच साफसफाई करून, बांध घालून मशागत केली जाते. १० एकर जमिनीची साफसफाई, जमीन एकसारखी सपाट करण्यासाठी कमीत कमी ५०० रुपये देण्यात यावेत असे सूचविण्यात येते. शेतकी खात्याकडून जमीन एकसारखी करून घेऊन बांधबंदिस्ती करण्यात यावी. जंगल खात्याने शेतीसाठी दिलेल्या १,५८० एकर जमिनीपैकी फक्त ८४० एकरांचे क्षेत्रच लागवडीखाली आणले जात आहे. याचाच तपशील परिशिष्ट ५ वर दिला आहे.

बैल खरेदी : स्थायी शेतीच्या नांगरटीसाठी, बैल व नांगर अत्यावश्यक आहेत. त्यासाठी प्रत्येक पुनर्वसित कुटुंबास ३०० रुपये दिले जातात. बैलांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे, शेतीच्या उपयोगाचे बैल ३०० रुपयास जोडीप्रमाणे मिळणे फारच कठिण आहे, म्हणून शेतीच्या कामासाठी अयोग्य असे बैल या शेतकऱ्यांना दिले गेले आहेत. कारण ठराविक आर्थिक तरतुदीमध्येच बैलजोडी घेणे आवश्यक होते, असे दिसून आले. क्षेत्रसंघटक,

अहेरी, यांच्याशी बैल खरेदीबाबत विचारविनिमय केला असता असे समजले की, या भागात बैल विकत मिळतच नाहीत. शेतीयोग्य बैलांच्या खरेदीसाठी यवतमाळ जिल्ह्यात, वणी अगर बस्तर मधील नारायणपूर येथील जनावरांच्या बाजारास जावे लागते. ही दोन्ही ठिकाणे या भागापासून १५० मैलापेक्षा जास्त लांब अंतरावर असल्यामुळे वित्त अंदाजपत्रकाच्या बैल खरेदीच्या ३०० रुपयांच्या तरतुदीमध्येच बैलांच्या आणण्याचा खर्चही करावा लागतो. यासाठी असे सुचविण्यात येते की, बैल खरेदीची ३०० रु. ची अंदाजपत्रकाची आर्थिक तरतूद ५०० रु. पर्यंत वाढविण्यात यावी.

कुठकुटपालन व दुधदुभती जनावरे :

पुनर्वसित शेतकरी कुटुंबास पूरक धंदा म्हणून, प्रत्येक कुटुंबास २०० रुपये किमतीच्या गाई अगर शेळ्या पुरविल्या जातात. समतोल आहाराअभावी योग्य वाढ न झालेल्या आदिवासीयांच्या मुलाबाळांस, दुधदुभते, अंडी मिळावीत, त्यांच्या उत्पन्नामध्ये दुधदुभते व अंड्यांच्या विक्रीने वाढ व्हावी या दुहेरी उद्देश्याने ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु आदिवासी संस्कृतीमध्ये जनावरांचे दुध काढणे तसेच अंडी खाणे निषिद्ध असल्याने व अंड्यापासून फक्त पिल्लेच काढत असल्यामुळे या योजनेची दोन्ही उद्दिष्टे असफल झालेली आहेत.

शाळा :

प्रत्येक ५० घरांच्या पुनर्वसित आदिवासी घटकांसाठी, प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयीसाठी एक शाळा मंजूर केलेली आहे. कोयर व मुरंगल या पुनर्वसित वसाहतीमध्ये प्रत्येकी एक अशा दोन शाळा या योजनेखाली उघडण्यात आल्या आहेत. परंतु शिक्षणाची ही योजना देखील संपूर्णपणे असफल झाली आहे. कोयर येथील शाळेत हजेरीपटावर १२ विद्यार्थी असून सुद्धा प्रत्यक्ष हजर मात्र फक्त ३ च विद्यार्थी असतात असे पाहणीमध्ये दिसून आले आहे. शिक्षणाचे माध्यम मराठी आहे. परंतु हा भाग टेकड्यांचा असून या भागातील आदिवासीयांचा संपर्क इतर लोकांशी पुरेसा येत नसल्यामुळे कोयरच्या शाळेत हजर असणाऱ्या ३ मुलांना मराठीतून विचारलेले साधे प्रश्नही समजले नाहीत.

हिंदुदुर वसाहतीच्या बांधकामाच्या देखरेखीचे काम हिंदुदुरच्या शाळा मास्तरकडे सोपविण्यात आले आहे. यावरून शिक्षकांना शाळेच्या कामाबद्दल नाममात्रही आस्था नसावी असे वाटते; शिवाय वसाहतीच्या भागातील ५० कुटुंबातील फक्त १२ च मुले हजेरीपटावर असणे ही बाब या विधानास पूरकच आहे.

या भागातील आदिवासीयांमध्ये शिक्षणाबद्दल मूलतःच उत्साह नाही. कारण मुलांनी शाळेत जाणे म्हणजे त्यांचा वेळ वाया घालविणेच आहे अशी या लोकांची दृढ समजूत आहे. शाळेत वाया जाणारा वेळ त्यांच्या दृष्टीने जंगलांत जनावरे चारणे अगर लाकूडफाटा गोळा

करणे व लहान मुलांचा संभाळ करणे या सहायक बाबींकडे करणेच योग्य आहे. शिक्षकांच्या कडक शिस्तीच्या बंधनात शाळेच्या वेळात अडकून पडण्यापेक्षा जंगलात मनसोक्त हुंदडणे अगर घरीच मनमानेल तसे खेळणेच या भागातील आदिवासी मुलांना स्वभावतः आवडते. या मूलभूत अडचणीवर आश्रम शाळेची शिक्षणाची योजनाच योग्य असून अशा शाळांसाठी लाहेरीसारख्या गावी आश्रम शाळेच्या इमारतीसाठी व शेतीसाठी मुबलक जमीन सहजा-सहजी उपलब्ध आहे. शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच आश्रम शाळेच्या शिक्षण पद्धतीमुळे या भागातील तरुण पिढीच्या मनात स्थायी शेतीच्या आवडीची मुळेही रुजू लागतील. शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या परिशिष्ट २ वर दिलेली आहे.

शेती प्रात्यक्षिक केन्द्र :

या शेती प्रात्यक्षिक केन्द्रासाठी लाहेरी या गावी १० एकर जमिनीचे क्षेत्र आहे. एक शेतकी जमादार व एक शेतमजूर (Fieldman) यांची नेमणूकही झालेली आहे. परंतु या प्रात्यक्षिक केन्द्रातच शेतीची कसलीच प्रगती दिसून आली नाही. तेव्हा असे हे प्रात्यक्षिक केन्द्र स्थलांतरित शेतीची आवड असणाऱ्या आदिवासीयांना कोणत्या प्रकारची प्रगतिशील शेतकीची प्रात्यक्षिके दाखवीत असेल व त्यांच्या मनात स्थायी शेतीच्या प्रगतीबद्दल किती आस्था निर्माण करीत असेल ही एक आश्चर्याचीच बाब आहे. म्हणूनच पाहणीमध्ये पुनर्वसित आदिवासी शेतकऱ्यांना भात रोपणीबद्दल व खतांच्या खड्ड्यांबद्दल माहिती विचारली असताना त्यांनी त्याबाबतचे अज्ञान प्रकट केले. हिद्दुर येथेही अशा शेती प्रात्यक्षिक शेती केन्द्रासाठी शेतकी जमादाराची नेमणूक झालेली आहे. परंतु आवश्यक असलेली जमीन आणि केन्द्रासाठी लागणारे इतर साहित्य अजून मिळाले नसल्यामुळे हा जमादार हिद्दुरच्या वसाहतीच्या बांधकामावर देखरेख करण्याचेच काम करतो.

याकरिता हिद्दुरचे शेती प्रात्यक्षिक केन्द्र ताबडतोब स्थापन करण्यात यावे असे सुचविण्यात येते. तसेच हिद्दुर व लाहेरी या शेती प्रात्यक्षिक केन्द्रांतील शेतकी जमादारांनी एकूण पुनर्वसित वसाहतीपैकी प्रत्येकी ५-५ वसाहतींना नियमित भेटी देऊन तेथील पुनर्वसित शेतकऱ्यांच्या शेतातच शेतीची वेगवेगळी प्रात्यक्षिके करून दाखवावीत आणि वेळोवेळी त्यांच्या शेतीच्या अडीअडचणी समजावून घेऊन मार्गदर्शन करावे.

सध्या पुनर्वसित कृषिकरणांची योजना शासनातर्फे खालील अधिकाऱ्यांमार्फत राबविली जाते :—

- (१) क्षेत्र संघटक, अहेरी.
- (२) मंडल संघटक, भामरागड स्थलांतरित शेती योजना.
- (३) वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger).

योजनेच्या व्याप्तीच्या मानाने हा अधिकारीवर्ग अगदीच अपूरा आहे. याच कारणामुळे ही योजना अपेक्षेसारखी फलदायी झालेली नाही हे सर्वश्रुत सत्य आहे. या योजनेच्या संपूर्ण यशासाठी व योग्यप्रकारे राबविली जाण्यासाठी राज्य पातळीवरील खालील अधिकारी व कर्मचारी सुचविण्यात आले आहेत.

विशेष पुनर्वसन अधिकारी.—क्षेत्र संघटकाच्या वेतनश्रेणीतच अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून भामरागड हे त्याचे मुख्यालय करण्यात यावे, कारण सध्याच्या क्षेत्रसंघटकांना जिल्हा परिषदेची कामे करावी लागत असल्याने या कामासाठी हवे इतके लक्ष तो घालू शकत नाही. या सूचित अधिकाऱ्यास आर्थिक, महसुली व शासकीय अधिकार देण्यात यावेत.

वन क्षेत्रपाल.—प्रचलित योजनेत १,५८० एकरांचे जंगलाचे क्षेत्र, जंगल तोडून लागवडीखाली आणले आहे. या कामाच्या देखरेखीकरिता अंदाजपत्रकात वनक्षेत्रपालाची एकच जागा मंजूर केली आहे. जंगल तोडीच्या कामावर देखरेख करून संलग्न जंगलाचा, बकायदेशीर नाशापासून बचाव करण्यासाठी आणखी दोन वन क्षेत्रपालांच्या नेमणूका करण्यात याव्यात, असे सुचविण्यात येते.

प्रचारक.—योजनेच्या सुरवातीस दोन प्रचारकांच्या नेमणूका करण्यात आल्या होत्या, परंतु नंतर त्या जागा कमी करण्यात आल्या. माझिया पुरातन विचारसरणीचा असल्यामुळे परंपरागत सांस्कृतिक जीवनात बदल करण्यास तो तयार नसतो. स्थलांतरित शेतीच्या अनिष्ट पद्धतीपासून सर्वमान्य शेतीच्या पद्धतीकडे अशा लोकांचे मन वळविण्यासाठी सतत प्रचार व प्रयत्नांची अत्यावश्यकता असल्यामुळे प्रचारकांच्या दोन जागा निर्माण करण्यात याव्यात.

इतर कर्मचारी.—विशेष पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासाठी कनिष्ठ लिपिक व बरिष्ठ लिपिक यांच्या प्रत्येकी एक जागा व चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

या ठिकाणी विशेषकरून नमूद करावेसे वाटते की, आदिवासी भागात राहून काम करण्याची आवड असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचीच नेमणूक या भागात करण्यात यावी, आणि या अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या करण्यात येऊ नयेत. प्रसिद्ध मानववंश शास्त्रज्ञ डॉ. व्हेरियर एल्वीन यांचे देखील आदिवासीयांच्या संबंधीच्या योजना व त्या राबविणारे अधिकारी व कर्मचारीवर्गाबद्दल हेच मत आहे.

स्थानांतरित शेतीऐवजी पुनर्वसित शेतीची योजना ही शेतीची योजना असल्यामुळे प्रत्येक पुनर्वसित वसाहतीमध्ये एक एक शेतकी सहायक नेमण्यात यावा. या शेतकी

सहायकाने वेळोवेळी पुनर्वसित आदिवासीयांच्या शेतीच्या अडचणींच्या वेळी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करावयास पाहिजे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी भाग हा भात शेतीचा प्रदेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक वसाहतीत जलसिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात यावा व एकेक इंजिन देण्यात यावे. सूचित योजनेचा आर्थिक आराखडा परिशिष्ट ६ वर दिला आहे.

योजनेचा पाठपुरावा.—(१) या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून आज तारखेपर्यंत या योजनेचा पाठपुरावा झालेला नाही. त्यामुळे स्थलांतरित शेती करणाऱ्या आदिवासीयांना स्थायी शेतीची पद्धत सुलभतेने अंगवळणी पडली आहे आणि त्यांनी तिचा मूलतः स्वीकार केला आहे, अगर काही अडीअडचणी आल्या आहेत याची काहीच कल्पना येत नाही.

(२) दिलेल्या जमिनीची पद्धतशीर विभागणी व वैयक्तिक वाटप झालेले आहे किंवा नाही हेही समजत नाही. याचकरिता असे सुचविण्यात येते की, ही योजना कितपत यशस्वी झालेली आहे अगर प्रगतीच्या कोणत्या अवस्थेत आहे याची माहिती होण्यासाठी नियमित पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.

शेवटी राहिलेल्या स्थलांतरित शेती करणाऱ्या मांड्यांना पुनर्वसित करण्यापूर्वी आणि या संपूर्ण विवेचनाच्या मूल्यमापनावरून कोणताही निष्कर्ष घेण्यापूर्वी या क्षेत्रातील काही विशेषज्ञांची मते विचारात घेणे आवश्यक वाटते.

स्थलांतरित शेती ही जरी शेतीची बुरसटलेली व टाकाऊ पद्धत वाटत असेल तरी आदिवासी जीवनाचे एक आवश्यक अंग व सांस्कृतिक वारसा म्हणून ही पद्धत मान्य झालेली आहे.

स्थलांतरित शेतीच्या पद्धतीत मूलतः बदल करण्याऐवजी, आदिवासी संस्कृतीचा अनादर न करता स्थानांतरित शेतीच्या पद्धतीस पायबंध घालण्यासाठी खालील सूचना करण्यात येत आहेत :—

सध्या ज्या भागात स्थलांतरित शेती करण्यात येते त्याच भागातील मर्यादित क्षेत्रात स्थानांतरित शेतीच्या पद्धतीचा अवलंब करून ते क्षेत्र एकूण जंगलापासून वेगळे ठेवावे. अशाच प्रकारचा शेतीचा प्रकार मध्यप्रदेशच्या मंडला घाटातील 'बैगा' मध्ये प्रचलित आहे. येथील मर्यादित केलेल्या वेगळ्या भागास (Baiga Chalk) "बैगा चॉक" असे म्हणतात. "बैगा चॉकचे" वर्णन परिशिष्ट ७ मध्ये जोडले आहे. मर्यादित स्वरूपात स्थानांतरित शेतीपद्धती चालू ठेवण्याबद्दल वर्गीकृत जाती व वर्गीकृत क्षेत्राचे कमिशनने खालील सूचना केल्या आहेत.

उताराप्रमाणे जमिनीची ३ भागात विभागणी करावी. अति उताराचा भाग जंगलाच्या कायम वाढीसाठी सुरक्षित ठेवण्यात यावा. १०° पर्यंतची मध्यम उताराची जमीन सारखी करून हाच भाग स्थानांतरित शेतीसाठी बदलून बदलून उपयोगात आणावा. तसेच स्थलांतरित शेती केलेला भाग ताबडतोब जंगल वाढीसाठी उपयोगात आणावा.

डोंगराळ भागात शेतीची कमतरता नेहमीच असते. अशा डोंगराळ भागात शास्त्रोक्त पद्धतीच्या स्थानांतरित शेतीस उत्तेजन द्यावयास पाहिजे. रेणूका रे समिती आणि दुर्गम भागांच्या पाहणीसाठी नेमलेल्या समितीची मतेही अशीच आहेत.

जमिनीची उत्पादनक्षमता कायम राखण्यासाठी प्रसिद्ध मानववंश शास्त्रज्ञ डॉ. व्हेरियर एल्वीन यांचे मत असे आहे की, स्थानांतरित शेतीसाठी जंगलातील ज्या भागातील लाकूड तोड करावयाची ती योग्य व शास्त्रीय पद्धतीने केल्यास, उरलेल्या झाडांच्या बुंध्यापासून नवी पालवी फुटून जमिनीचा तो भाग हिरव्या पानांनी झाकला जाईल. या आच्छादनामुळे जमिनीचा कस कमी न होता कायम राखला जाईल.

श्री. शिवरामन यांनी दुसराच उपाय सुचविला आहे. जमिनीचा मगदूर, जमिनीवरील अनावश्यक गवत, पालापाचोळा आणि इतर तणांच्या कुजण्यावर अवलंबून आहे. स्थानांतरित शेतीच्या पद्धतीत दोन पिके काढल्यानंतर जमिनीची उत्पादनक्षमता कमी होते. त्यामुळे आदिवासी नवीन जमीन शोधण्यास प्रवृत्त होतात. या नवीन जमिनीऐवजी जुन्याच जागी जर मसुरीच्या पिकासारखे पीक काढले तर मसुरीच्या मुळ्यांमुळे व पानांमुळे नत्रयुक्त पदार्थांची जमिनीत विपुलता निर्माण होते व जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढते त्यामुळे जमीन पुन्हा चांगल्या प्रकारे पीक देऊ शकते.

अशाप्रकारे आदिवासीयांची पारंपरिक स्थानांतरित शेतीची पद्धत एकदम बंद न करता किंवा त्यामध्ये क्रांतीकारक बदल करण्याऐवजी त्यात अनुकूल बदल करणे फायदेशीर व हिताचे आहे. याबाबत तज्ञांच्या विचारात एकमत आहे असे दिसते.

स्थलांतरित शेती ही बुरसटलेली व टाकाऊ शेतीची पद्धत असल्यामुळे तिची निर्भत्सना होत असली तरी या पद्धतीमध्ये काही चांगल्या बाबीही आहेत. स्थानांतरित शेतीची पद्धत ही सामुदायिक शेतीची एक आदर्श पद्धत आहे. आजच्या आधुनिक जगात, जगाच्या कानाकोपऱ्यापासून सध्या सामुदायिक शेतीच्या पद्धतीस प्रोत्साहन मिळत आहे. स्थायी पद्धतीच्या शेतीमुळे जमिनीच्या वैयक्तिक मालकीहक्काची भावना निर्माण होत असून जमिनीची तुकड्या-तुकड्यात विभागणी होऊन या तुकड्यांवरही मालकीहक्काच्या आशाळभूत नजरा रोखलेल्या असतात. स्थानांतरित शेतीतील सामुदायिकतेच्या नेमके वेगळे असे हे स्वरूप आहे. ही दोन्ही पद्धतीमधील मूलभूत सामाजिक बाब योजना तयार करताना लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

परिशिष्ट १

अर्थसंकल्पामध्ये दाखविलेली खर्चाची तरतूद

| अनुक्रमांक | प्रकार | चांदा जिल्हा |
|------------|--|--------------|
| | | रुपये |
| १ | ५०० रु. प्रत्येकी प्रमाणे ५० घरांच्या बांधणीचा खर्च (प्रत्येक जिल्ह्यात ५०). | २५,००० |
| २ | प्रत्येक जिल्ह्यात १ प्रमाणे पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीचा खोदाई खर्च. | १,००० |
| ३ | जमिनीच्या साफसफाई, बांधवंदिस्ती, झाडेझुडपे तोडण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबास १०० रु. प्रमाणे. | ५,००० |
| ४ | बैल खरेदीसाठी (प्रत्येक जोडीस ३०० रु. प्रमाणे ५० बैलजोड्या) | १५,००० |
| ५ | बी-बियाणे व खते (प्रत्येक कुटुंबास ५० रु.) | २,५०० |
| ६ | शेतीची अवजारे ३०० रु. प्रत्येक कुटुंबास | १५,००० |
| ७ | कुक्कुटपालन, दुधदुभत्याच्या जनावरांच्या खरेदीसाठी प्रत्येक कुटुंबास २०० रु. प्रमाणे. | १०,००० |
| ८ | गुजराण खर्च ३०० रु. प्रत्येक कुटुंबास | १५,००० |
| ९ | शाळेच्या इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च | १,००० |
| १० | शिक्षकांचा पगार ८० रु. महिन्याप्रमाणे शाळांचा आकस्मिक खर्च, ४० रु. वर्षाप्रमाणे कपडे, पाट्यापुस्तके इत्यादीसाठी ५०० रु. वर्षासाठी. | १,५०० |
| ११ | शेतीच्या देखरेखीसाठी नेमणूक केलेल्या जमादाराचा पगार रु. १२० महिना कृषिक्षेत्र प्रमाणे, एक शिपाई ८० रु. महिन्याप्रमाणे, भत्ते वगैरे सर्व मिळून. | २,४०० |
| १२ | शेती पर्यवेक्षक केन्द्रासाठी १० एकर जमीन बी-बियाणे, बैल इत्यादीसाठी. | ४,००० |
| १३ | कर्षाचारीवर्गासाठी राहाण्याची घरे बांधण्यासाठी | ४,००० |
| १४ | आकस्मिक खर्च | १०० |
| | | १,००,००० |
| | अनावर्ती | ९४,००० |
| | आवर्ती | ६,००० |

परिशिष्ट २

शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

| अ. नं. | वसाहतीचे नाव | बांधलेल्या घरांची संख्या | स्थायिक झालेल्या कुटुंबाची संख्या | गांवापासून जवळची शाळा | शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या |
|--------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| १ | लाहेरी | ५ | ५ | लाहेरी | .. |
| २ | कोयर | १८ | १८ | कोयर | १२ |
| ३ | गोटपाडी | २३ | २३ | गोटपाडी | १० |
| ४ | पोयरकुटी | २५ | २५ | .. | .. |
| ५ | ताडपारी | १५ | १५ | लाहेरी | .. |
| ६ | मुरंगल | १३ | १३ | कोयर | .. |
| ७ | हिंददुर | १४ | १४ | आरेवाडा | .. |
| ८ | गुडनहोड | ९ | ९ | लाहेरी | .. |
| ९ | बांगडी | ११ | ११ | लाहेरी | .. |
| १० | बोडागे | १३ | १३ | लाहेरी | .. |
| एकूण | | १४६ | १४६ | | २२ |

कोयर आणि गोटपाटी या वसाहतीतच शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.

परिशिष्ट ३

शेतीखाली आणलेले क्षेत्र दर्शविणारा तक्ता

| अनुक्रमांक | स्थलांतरित शेती करणाऱ्या इसमाचे नांव | मूळ गावाचे नांव | स्थलांतरित शेतीखाली आणलेले क्षेत्र | पुनर्वसन केलेल्या वसाहतीचे नांव | स्थायी शेतीसाठी दिलेले क्षेत्र | लागवडी- खाली आणलेले क्षेत्र |
|------------|---|-----------------|---|--|---|-----------------------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| १ | मुरा दासा पुगांटी | ... | ... | ... | ... | ... |
| २ | डुगा बोगा | ... | ... | ... | ... | ... |
| ३ | उरजी कोटव्हा वट्टे | ... | ... | ... | ... | ... |
| ४ | मुरी दासा | ... | ... | ... | ... | ... |
| ५ | दास्या जोषा गडेप | ... | ... | ... | ... | ... |
| ६ | दुगे अगल | ... | ... | ... | ... | ... |
| ७ | येरपा मीना | ... | ... | ... | ... | ... |
| ८ | मसा गणा | ... | ... | ... | ... | ... |
| ९ | विज्जा मोक्का | ... | ... | ... | ... | ... |
| १० | मेहू मासा | ... | ... | ... | ... | ... |
| ११ | मिबू कुमा | ... | ... | ... | ... | ... |
| १२ | बोडका दोबा | ... | ... | ... | ... | ... |

परिशिष्ट ३—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | |
|-----|------------------|-----|-----------|-----|----------|-----|----|
| १३ | डुंगे गोगा | .. | पुंगसूर | ८ | हिटुर | १० | ३२ |
| १४ | डोगा विजा | .. | तिसवली | १० | " | १० | ३२ |
| १५ | मासा गोटा | .. | दामनमारका | १० | " | १० | ५ |
| १६ | कोल्हा नेण्डा | .. | बिणागण्डा | ८ | " | १० | ३२ |
| १७ | बिच्च्या माडी | .. | तुरेमारका | १० | " | १० | ५ |
| १८ | वगेसा मासा | .. | मैद्यवादा | ५ | " | १० | ५ |
| १९ | बोंगा पांडू | .. | पोटदवाडा | १० | " | १० | ३२ |
| २० | गट्टी बोडांगा | .. | हिटुर | १० | " | १० | ५ |
| २१ | बिच्च्या केये | .. | दामनमारका | १० | " | १० | ३२ |
| २२ | वट्टे जंगल कोडका | .. | कोडका | १० | " | १० | ५ |
| २३ | चैतु केये | .. | फूलचर | १० | " | १० | ३२ |
| २४ | गुण्डा मुरा | .. | तुरेमारका | १० | गुडेनहोड | १० | ५ |
| २५ | वत्ते मुरा | .. | तुरेमारका | ५ | " | १० | ५ |
| २६ | कोठल गोण्डा | .. | दामनमारका | १० | " | १० | ५ |
| २७ | डुंगा वत्ते | .. | " | १० | " | १० | ५ |
| २८ | मासा विजा | .. | " | ८ | " | १० | ४ |
| २९ | चैतु डोगी | .. | तुरेमारका | १० | " | १० | ५ |
| ३० | वत्ते गावा | .. | दामनमारका | ५ | " | १० | ५ |
| ३१ | चैतु जाल्या | .. | " | १० | बांगडी | १० | ५ |
| ३२ | मुरा कट्टा | .. | वटकडा | ८ | गुडेनहोड | १० | ५ |

| | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|
| ३३ | मासा पण्डा | ... | वेगुरवाडा | १० | वागडी | १० | ४ |
| ३४ | वंजा करपा | ... | " | ८ | " | १० | ४ |
| ३५ | तिरपा गट्टी | ... | " | १० | " | १० | ४ |
| ३६ | पण्डा डोली | ... | " | ८ | " | १० | ४ |
| ३७ | कटा मुरा | ... | " | १० | " | १० | ४ |
| ३८ | केला ओगा | ... | " | १० | " | १० | ४ |
| ३९ | तुरगा मुरा | ... | " | ८ | हिडुर | १० | ३ |
| ४० | केये मुरा | ... | " | ६ | " | १० | ६ |
| ४१ | चैतु मुका | ... | " | १० | " | १० | ५ |
| ४२ | कुले वाणे | ... | विवुर | १० | " | १० | ५ |
| ४३ | काना मुरा | ... | " | १० | " | १० | ४ |
| ४४ | इरगु माणे | ... | डिरंगी | ८ | " | १० | ५ |
| ४५ | गिला दसरु | ... | " | ८ | कोयूर कोटी | १० | ५ |
| एकूण | | | | ४०३ | | ४५० | २०५ |

परिशिष्ट ४

शेतीसाठी दिलेली मदत

| अनुक्रमांक | शेती करणाऱ्याचे नांव | पुनर्वसित केलेल्या गावाचे नांव | किती ढील मदत म्हणून दिले | दुष्प्रभाती जनावरे | शेतीची औजारे | | |
|------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|----|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | | |
| १ | मुरा दासा पुंगारी | .. | .. | ताडपरी | २ | १ | सर्व शेतीच्या उपयो- गाची औजारे देण्यात आहित. |
| २ | डोंगा बोया | .. | .. | पोवरकुट्टी | २ | २ | " |
| ३ | उलगी कोटला वट्टे | .. | .. | ताडपरी | २ | .. | " |
| ४ | मुरी दासा | .. | .. | ताडपरी | २ | १ | " |
| ५ | दास्या जोसा गडवे | .. | .. | " | २ | २ | " |
| ६ | दुगे आगल | .. | .. | कोयट | २ | .. | " |
| ७ | इरपा मीना | .. | .. | " | २ | .. | " |
| ८ | मुसा गणा | .. | .. | " | २ | .. | " |
| ९ | विज्जा मोंका | .. | .. | " | २ | .. | " |
| १० | महादू मासा | .. | .. | गोटपाडी | २ | .. | " |
| ११ | चैतू कुमा | .. | .. | " | २ | .. | " |

परिशिष्ट ५

१९६४-६५ पर्यंत सामान्य माहिती दर्शविणारा तक्ता

| अनु- क्रमांक | वसाहतीचे नांव | एकूण दिलेली जमीन | एकूण लागवडीखाली आणलेले जमिनीचे क्षेत्र | ज्या खेड्यात शेतकी प्रात्यक्षिक केन्द्र उघडलेले आहे त्याचे नांव | वसाहती- पासून अंतर | शेतकीच्या आधुनिक तंत्राची ज्यांना माहिती करून दिली अगर स्थायी शैती- पद्धतीची ज्यांना माहिती दिली असे एकूण लोक |
|-----------------|---------------|------------------------|---|--|--------------------------|--|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | एकर | एकर | | मील | |
| १ | लाहेरी | ५० | ४० | लाहेरी | १ | ५ |
| २ | कोयर | १४० | ८० | " | ९ | ११ |
| | | + ४० | + ७० | | | |
| ३ | गोटपाडी | २५० | ७० | " | ११ | ११ |

परिशिष्ट ५—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
|-----|----------|-------|-----|------------------------------------|-----|-----|
| | | एकर | एकर | | मैल | |
| ४ | पोयरकोटी | २५० | २३० | पोयरकोटी | ० | ० |
| ५ | ताडपाडी | १५० | १०० | " " | २ | ० |
| ६ | मुरगल | १२० | ७० | " " | ७ | ० |
| | | +१० | | | | |
| | | +४० | | | | |
| ७ | हिडुर | २०० | ० | हिडुर येथेच स्थापण्याची योजना आहे. | ० | ० |
| ८ | गुडिनहोड | ५० | ७० | लाहेरी | ४ | ० |
| ९ | बांगडी | ११० | ४० | " " | ४ | ० |
| १० | बोडामे | १०० | ७० | हिडुर | ४ | ० |
| | | +३० | | | | |
| | एकूण | १,५८० | ८४० | | | |

परिशिष्ट ६

सूचित कर्मचारी व इतर बाबींसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील

| | | | रुपये | | |
|---|----|----|----------|--------------|--------|
| भावर्ती खर्च | •• | •• | १६,८०० | | |
| अनावर्ती खर्च | •• | •• | ८०,००० | | |
| | | | <hr/> | | |
| एकूण | •• | •• | ९६,८०० | | |
| | | | <hr/> | | |
| | | | मूळ वेतन | महागाई भत्ता | एकूण |
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| मूळ पगार आणि इतर भत्ते— | | | | | |
| (१) विशेष पुनर्वसन अधिकारी, एक (रु. २५० ते ५००). | | | ३,००० | ४८० | ३,४८० |
| (अ) शेतकी सहाय्यक, पंधरा | | | •• | •• | •• |
| (२) वन रक्षक, दोन १०० × २ | •• | | २,४०० | ७२० | ३,१२० |
| (३) लिपिक, दोन—एक वरिष्ठ लिपिक रु. १४५—१८५. | | | १,८७६ | ५४० | २,४१६ |
| एक कनिष्ठ लिपिक रु. १००—१७०. | | | १,२०० | ५४० | १,७४० |
| शिपाई, दोन रु. ६५—७५ | •• | | १,६८० | ७२० | २,४०० |
| चल यंत्रचालक, दोन क्षेत्र | •• | | २,४०० | ७२० | ३,१२० |
| | | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| एकूण | •• | •• | १२,५५६ | ३,७२० | १६,२७६ |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | | १६,३०० |
| | | | | | +५०० |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | | १६,८०० |
| | | | | | <hr/> |

परिशिष्ट ७

बैगा चॅक (Baiga Chalk) वर टिप्पणी

मध्यप्रदेश राज्यांत, मंडला जिल्ह्यांत, नैऋत्य दिशेस, बिलासपूरच्या सरहद्दीस लागून डोंगराळ जमिनीचा एक छोटासा भाग असून तेथे जंगल खात्याने कायदेशीररीत्या स्थलांतरित शेतीस परवानगी दिलेली असून तिकडे या पद्धतीस 'बीवर' या नांवाने ओळखतात. हा भाग मखल पर्वताच्या डोंगराळ रांगात येत असून समुद्र सपाटीपासून २,४०० फूट उंचीवर आहे.

इसवी सन १८६८ साली शासनाने 'बीवर' शेतीस मज्जाव केला. नंतर १८९० साली शासनाने स्थलांतरित शेती करणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्याच भागांतील विशिष्ट जमिनीच्या क्षेत्रांवर स्थानांतरित शेतीस परवानगी देणारा कायदा पास करून त्या भागांस 'बैगा चॅक' हे नामाभिधान दिले. जंगलातील २३,९२० एकर क्षेत्र यासाठी आखण्यात आले. जंगल खात्याने या भागांत रस्ते बांधण्याअगोदर इतर लोकांना हा भाग दुर्गम होता. सुरवातीस या भागांत एकूण सात खेडी वसविण्यात आली होती. नंतर स्थानांतरित शेती पद्धतीच्या वैशिष्ट्यानुसार या खेड्यांच्या सीमा बदलत गेल्या आणि सध्या या भागांत पांच खेडी आहेत. त्यांची नावे अशी आहेत : अजगर, दुर्कुट्टा, टंकरम, सीलीपूरी आणि धाबास.

या भागाची शासन पद्धती :

या भागाचा व जवळपासच्या खेड्यांचा कारभार जंगल खात्यामार्फत चालतो. या जंगलातील वनग्रामात राहणाऱ्या लोकांना जमीन मोफत दिली जाते आणि लोकांना स्वतःच्या गरजेकरिता तसेच विकण्याकरिता जंगलातील लाकूडफाटा, फळेफुले, कंदमुळे गोळा करण्यास परवानगी आहे. या विभागांत जंगल मक्तेदारास देण्याची मनाई आहे. या भागांत राहणाऱ्या लोकांना जेव्हा जेव्हा जंगल खात्याकडून कामासाठी मागणी करण्यात येईल तेव्हा तेव्हा प्रत्येक कुटुंबातून कमीतकमी एक माणूस कामासाठी घ्यावा लागतो. हीच एक अट त्यांच्यावर जंगल खात्यामार्फत लादलेली आहे.

'बीवर' शेतीची पद्धत :

प्रत्येक वर्षी जंगल खाते स्थलांतरित शेतीसाठी ठराविक भाग ठरवून देते. तेथेच बैगा बीवर पद्धतीने शेती करतात. ठरवून दिलेल्या जंगलाच्या भागांतील झाडेझुडपे बैगा लोक सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये तोडतात. नंतर ३ महिने त्यांना वाळू देतात. मार्च-एप्रिल महिन्यांत तोडलेला लाकूडफाटा जाळून टाकतात. पावसाळा सुरू

होण्यापूर्वी राखेमध्ये बी फेकून टाकतात. कुटकी, मडिया रासनी, समुआ, बैरा आणि कांग ही पावसाळी पिके इकडे होतात. सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये या पिकांची कापणी केली जाते.

‘बीवर’ शेती पद्धतीशिवाय बैगा शेतकऱ्यांना स्थायी पद्धतीची शेती करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाते. स्थायी शेतीपद्धतीस ते नांगर या नांवाने ओळखतात. ‘नांगर’ शेतीच्या पद्धतीसाठी जमीन, अवजारे, जनावरे व बी-ब्रियाणे जंगल खात्यामार्फत पुरविले जाते. स्थानांतरित शेती करणाऱ्या बैगा तरुण पिढीच्या पुनर्वसनाची योजना स्थिर शेतीवर आधारून जंगल खात्याने अंमलबजावणीसाठी नुकतीच हाती घेतली आहे. अशा वसाहतींना “नांगर खेडी” म्हणतात. नांगरखेडी बैगा चॅकच्या शेजारीच वसविलेली आहेत. जंगल खात्यास तरुण बैगा पिढीस स्थानांतरित शेती पद्धतीऐवजी संपूर्णतः नांगर शेती पद्धतीस अनुकूल करण्याची आशा आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या बडा माडिया व छोटा माडिया डोंगरांच्या रांगात आजही स्थलांतरित शेती करणाऱ्या इसमांच्या नावांची यादी

| अनु- क्रमांक | स्थलांतरित शेती करणाराचे नाव | जेथे स्थानांतरित शेती करतो ते गाव | स्थानांतरित शेतीसाठी दरवर्षी किती एकर जंगल क्षेत्र तोडतो |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| | | | एकर |
| १ | मोडी काह दुवो | | बिनागुण्डा १० |
| २ | मुरा बोया कोदाडी | | " २० |
| ३ | कुपला जाला कोडंगा | | " १० |
| ४ | सोमा रेका तालो | | " १० |
| ५ | टुंगे मुरा तालो | | " १० |
| ६ | चैतु काना दुवो | | " १० |
| ७ | मासा आमलो पारसा | | " १२ |
| ८ | विज्जा मुरा उसांडी | | " १६ |
| ९ | सायबी डोंगे दुवो | | " १० |
| १० | मुरा गुडसा काडंगा | | " १२ |
| ११ | टुंगे बांगा पोदाडी | | " १५ |
| १२ | मासा काह दुवो | | " १० |
| १३ | टुंगे दोबल तिम्मल | | " २० |
| १४ | मासा कोलाल पोदाडी | | " २० |
| १५ | कोसा ओट्टुलु पोदाडी | | " १० |
| १६ | कुमा मुरा पोदाडी | | " १० |
| १७ | बडे मुरा पोदाडी | | " १० |
| १८ | मासा वंजा उसांडी | | पेरुमलभट्टी १५ |
| १९ | मासा नेण्डा तालोडी | | " १० |
| २० | विज्जया डुंगा डेडा | | " ८ |
| २१ | आगा नेण्डा नागोटी | | " १५ |
| २२ | लुल्ला कोपा उसांडे | | " ८ |

आदिवासी संशोधन संस्थेची प्रकाशने : जालंधी

१. गोडी-इंग्रजी पुस्तिका, भाग १ व २. (६) (१) (१)
२. गोडी-मराठी पुस्तिका, भाग १ व २.
३. पालेमीडी निर्मूलन योजनेच्या मूल्य मापनाचा अहवाल.
४. महाराष्ट्रातील वर्गीकृत जमातींच्या घरासंबंधीच्या योजना व घरासंबंधीच्या परिस्थितींचा अहवाल.
५. महाराष्ट्रातील आदिवासीयांना मिळणाऱ्या जंगलविषयक सवलती—त्यांचे फायदे व तोटे (इंग्रजी भाषेत).
६. महाराष्ट्रातील आदिवासीयांना मिळणाऱ्या जंगलविषयक सवलती—त्यांचे फायदे व तोटे (मराठी अनुवाद).
७. चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थलांतरित शेती करणाऱ्या माडिया गोंडांच्या स्थायी शेतीसाठी केलेल्या पुनर्वसन योजनेच्या मूल्यमापनाचा अहवाल (इंग्रजी भाषेत टंकलिखित).
८. चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थलांतरित शेती करणाऱ्या माडिया गोंडांच्या स्थायी शेतीसाठी केलेल्या पुनर्वसन योजनेच्या मूल्यमापनाचा अहवाल (मराठी अनुवाद).

महाराष्ट्र शासनाची प्रकाशने मिळण्याची ठिकाणे

संचालक,

मुद्रण लेखनासासणी व प्रकाशना संचालनालय,
चौली रोड पोस्टावाळा, मुंबई-४.

पर्यवेक्षक,

शासकीय ग्रंथालय,
(किंवा शासनाच्या प्रकाशनाकारिता)
चौली रोड पोस्टावाळा, मुंबई-४.
(किंवा स्थानिक विधीकारिता)

दयवस्थापक,

शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथालय, जाणघर-१.

दयवस्थापक,

शासकीय फोटोडिप्लो मुद्रणालय व ग्रंथालय, पुणे-१.

सहायक संचालक,

शासकीय लेखनासासणी भाजार व ग्रंथालय, ओरसावाड.

भाषनाचे उच्च आयुक्त,

इंडिया हाउस, एल्विन, लाडवा, कच्छ, सी-२.

आणि

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रकाशनाचे अधिकृत विद्यते.

